"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5 2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012 2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26 |

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2013—आषाढ़ 7, शक 1935

and gradients and the state of the state of

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रांलय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक ई 7 22/2004/2—श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को दि. 19–11–12 से 20–11–2012 तक (02 दिवस) लघुकृत अवकाश (कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिन्हा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं ध्रमस्व तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

- 3. अवकाश काल में श्री सिन्हा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे:
- 4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिन्हा अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **डी. के. माथुर**, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 जून 2013

क्रमांक ई 7-37/2004/1-2—श्री डी. के. श्रीवास्तव, सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दि. 11-06-13 से 05-07-2013[/]तक (25 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

- 2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.
- 3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
- 4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **बी. एल. सोनी,** अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जून 2013

क्रमांक एफ 1/03/दो-गृह/भापुसे/2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नांकित रेंज पुलिस महानिरीक्षकों को उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत पदेन पुलिस महानिरीक्षक, नक्सल आपरेशन घोषित करता है :—

क्र .	पुलिस रेंज
(1)	(2)
1.	पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज
2.	पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज
3.	पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज
4.	पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज
5.	पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज

^{2.} उक्त अधिकारीगण नक्सल आपरेशन से संबंधित विषयों (मुद्दों) के संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नक्सल आपरेशन, पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2013

कमांक एफ 4–22/20–दो/2009.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,-

- 1. नियम 2 के खण्ड (क) एवं (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :--
 - (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है यथास्थिति, संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ एवं संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर या अधीनस्थ अधिकारी, जिसे नियुक्ति की शक्ति प्रत्याक्षोजित की गई हो या भविष्य में शक्ति प्रत्यायोजित की जाये;
 - (ञ) ''संचालक'' से अभिप्रेत है यथास्थिति, संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ एवं संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर;''
- 2. नियम 8 के उप—िनयम (3) के स्थान पर, निम्निलखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
 "(3) फीस— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना
 होगा।"
- 3. नियम 11 के छप—नियम (4) में, शब्द "महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण 30 प्रतिशत होगा" के पश्चात् भाब्द " इस संबंध में भासन द्वारा समय—समय पर घोशित आरक्षण का प्रति ात लागू होगा", जोड़ा जाये।
- 4. नियम 15 के उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :--
 - "ऐसी सूची में सिम्मिलित करने के लिये चयन, सभी मामलो में वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए वरिष्ठता—सह—उपयुक्तता पर आधारित होगा।"
- 5. नियम 15 के उप-नियम (3) का परन्तुक विलोपित किया जाए।
- 6. नियम 16 के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :— "16. नियुक्ति प्राधिकारी का अनुमोदन,—"

7. अनुसूची-एक, दो, तीन, तथा चार के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् --

''अनुसूची—एक (अ) (नियम 5 देखिये)

लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी-

स.क.	पद के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान / ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक	01	तृतीय श्रेणी	रू 9300—34800 ग्रेड वेतन 4300	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
2.	सहायक अधीक्षक	04	तृतीय श्रेणी	रू 9300—34800 ग्रेड वेतन 4200	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
3.	सहायक ग्रेड—1	11	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200 ग्रेड वेतन 2800	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
4.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	01	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200 ग्रेड वेतन 2800	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
5.	सहायक ग्रेड—।।	16	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200 ग्रेड वेतन 2400	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
6.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	03	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200 ग्रेड वेतन 2400	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
7.	सहायक ग्रेड—।।।	22	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200 ग्रेड वेतन 1900	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर

H.\$.	पद के नाम	पदों की कुल	वर्गीकरण	वेतनमान / ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(4)	(0)	संख्या	-(4)	(r)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्टेनो ग्रेड—1	01	तृतीय श्रेणी	रू 9300—34800 ग्रेड वेतन 4400	संचालः लोक शिक्षण छत्तीस द्वं, रायपुर
2.	स्टेनो ग्रेड–2	01 -	तृतीय श्रेणी	रू 9300—34800 ग्रेड वेतन 4300	संचालक्, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर
3.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	02	तृतीय श्रेणी	रू 9300—34800 ग्रेड वेतन 4300	प्रतिनियुक्ति .
4.	ग्रंथपाल उच्च वेतनमान	01	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200 ग्रेड वेतन 2800	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर

(1) 5	(2) स्टेनो ग्रेड-3	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	स्टेनो ग्रेड-3	03	तृतीय श्रेणी	रू 5200−20200	संचालक, लोक शिक्षण
!			•	ग्रेड वेतन 2800	छत्तीसगढ़, रायपुर
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	04	तृतीय श्रेणी	₹ 5200-20200	संचालक, लोक शिक्षण
		l 		ग्रेड वेतन 1900	छत्तीसगढ़, रायपुर
7.	रटेनोटायपिस्ट	03	तृतीय श्रेणी	रू 5200−20200	संचालक, लोक शिक्षण
i.				ग्रेड वेतन 1900	छत्तीसगढ़, रा यपुर
8.	वाहन चालक ्	05	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200	संचालक, लोक शिक्षण
	i			ग्रेड वेतन 1900	छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची-एक (ब) (नियम 5 देखिये)

लोक शिक्षण सचालनालय, छत्तीसगढ़ के अधीन जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी-

सं.क.	पद के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान / ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मुख्य लिपिक जिला कार्यालय	20	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200 ग्रेड वेतन 2800	जिला शिक्षा अधिकारी
2.	सहायक ग्रेड1	40	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200 ग्रेड वेतन 2800	जिला शिक्षा अधिकारी
3.	वरिष्ट लेखा परीक्षक	.20	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200 ग्रेड वेतन 2800	जिला शिक्षा अधिकारी
4.	सहायक ग्रेड-।। / लेखापाल	1863	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200 ग्रेड वेतन 2400	जिला शि क्षा अधिकारी
5.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	10	तृतीय श्रेणी	रू 520020200 ग्रेड वेतन 2400	जिला शिक्षा अधिकारी
6.	सहायक ग्रेड-।।।	2640	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200 ग्रेड वेतन 1900	जिला शिक्षा अधिकारी

स.क.	पद के नाम	पदों की	वर्गीकरण	वेतनमान / ग्रेड	नियुक्ति प्राधिकारी
		कुल -संख्या		वेतन •	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्टेनो ग्रेड–2	07	तृतीय श्रेणी	ेस्त् 9300—34800 ग्रेड वेतन 4300 _	संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़., रायपुर
2.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	20	तृतीय श्रेणी	रू 9300—34800 ग्रेड वेतन 4300	संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ., रा यपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	वरिष्ठ पी.टी.आई.	04	तृतीय श्रेणी	रू 9300−34800	जिला शिक्षा अधिकारी
	(शारीरिक शिक्षा			ग्रेड वैतन 4200	
	महाविद्यालय हेतु)		+ <u>-</u>		
4.	स्टेनो ग्रेड-3	13	तृतीय श्रेणी	रू 5200−20200	जिला शिक्षा अधिकारी
				ग्रेड वेतन 2800	
5.	ग्रंथपाल उच्च		तृतीय श्रेणी	रू 5200−20200	संचालक लोक शिक्षण
	वेतनमान	08	·	ग्रेड वेतन 2800	छत्तीसगढ़., रायपुर
	(1) जिला ग्रंथालय	01			
	हेतु			,	
	(2) शारीरिक शिक्षा		•		
	महाविद्यालय हेतु		,		
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	111	तृतीय श्रेणी	रू 5200─20200	जिला शिक्षा अधिकारी
				ग्रेड वेतन 1900	
7.	अन्वेषक	61	तृतीय श्रेणी	रू 5200−20200	जिला शिक्षा अधिकारी
			_	ग्रेड वेतन 1900	
8.	वाहन चालक	20	तृतीय श्रेणी	ক 5200−20200	जिला शिक्षा अधिकारी
				ग्रेड वेतन 1900	

अनुसूची—एक (स) (नियम 5 देखिये)

संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं इसकी अधीनस्थ संस्थाओं के कर्मचारी

स.क.	पद के नाम	पदों की	वर्गीकरण	वेतनमान / ग्रेड	नियुक्ति प्राधिकारी
		कुल		वेतन	
•		संख्या		•	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक अधीक्षक	01	तृतीय	रू 9300−34800	संचालक, राज्य शैक्षिक
٠	रा.शे.अनु.एवं प्रशि.परिषद्		श्रेणी	ग्रेड वेतन ४२००	अनुसंधान और प्रशिक्षण
					परिषद, रायपुर
2.	मुख्य लिपिक		तृतीय	रू 5200-20200	संचालक, राज्य शैक्षिक
	1.उन्नत अध्ययन शिक्षण	01	श्रेणी	ग्रेड वेतन 2800	अनुसंधान और प्रशिक्षण
	संस्थान (आई.ए.एस.ई.)	01			परिषद, रायपुर
	2.शिक्षा महाविद्यालय				
3.	सहायक ग्रेड-2 /		तृतीय	रू 5200—20200	संचालक, राज्य शैक्षिक
•	लेखापाल	08	श्रेणी	ग्रेड वेतन 2400	अनुसंघान और प्रशिक्षण
	ारा शे अनु एवं प्रशि परिषद्	01			परिषद, रायपुर
•	2.रा.शे.प्रबं.एवं प्रशि संस्थान	01			
: :	3.आंग्ल भा प्रशि संस्थान	01	·		
	4.उन्नत अध्ययन शिक्षण	01			
	संस्थान				
i v Nar	5. शिक्षा महाविद्यालय	1			,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	सहायक ग्रेड-।।।	1	तृतीय	रू 5200−20200	संचालक, राज्य शैक्षिक
İ	1.रा.शै.अनु.एवं प्रशि .परिषद्	11 ,	श्रेणी	ग्रेड वेतन 1900	अनुसंधान और प्रशिक्षण
-	2.रा.शै.प्रबं.एवं प्रशि .संस्थान	01 ′	· ·	' ,	परिषद, रायपुर
	3.आंग्ल भा. प्रशि संस्थान	01		,	
	४.उन्नत अध्ययन शिक्षण	03	,•		·
	संस्थान				
	 शिक्षा महाविद्यालय 	03			

स.क.	पद के नाम	पदों की कुलं	वर्गीकरण	वेतनमान / ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
	·	संख्या		7(1)	
(1)	(2)	. (3)	(4) · ·	(5)	(6)
1.	आर्टिस्ट		तृतीय श्रेणी	₹ 9300-34800	संचालक, राज्य शैक्षिक
	रा.शै.अनु.एवं प्रशि .परिषद्	01	•	ग्रेड वेतन ४४००	अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
2.	सहायक सांख्यिकीय	·	तृतीय श्रेणी	रू 9300−34800	प्रतिनियुक्ति
	अधिकारी रा.शै.अनु.एवं प्रशि .परिषद्	01	*	ग्रेड वेतन ४३००	
3.	स्टेनो ग्रेड–3	02	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200	संचालक, राज्य शैक्षिक
	रा.शै.अनु.एवं प्रशि .परिषद्			ग्रेड वेतन 2800	अनुसंधान और प्रशिक्षण
					परिषद, रायपुर
4.	ग्रंथपाल		तृतीय श्रेणी	₹ 5200-20200	संचालक, राज्य शैक्षिक
	१.रा.शे.अनु.एवं प्रशि .परिषद्	01		ग्रेंड वेतन 2800	अनुसंधान और प्रशिक्षण
	2.उन्नत अध्ययन शिक्षण	01	7		परिषद, रायपुर
	संस्थान				
	3. शिक्षा महाविद्यालय	01			
5.	सहायक ग्रंथपाल		तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200	संचालक, राज्य शैक्षिक
*	रा.शै.प्रबं.एवं प्रशि. संस्थान	01.		ग्रेड वेतन 2800	अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
6.	कम्प्यूटर डिजाईनर	01	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200	संचालक, राज्य शैक्षिक
	रा.शे.अनु.एवं प्रशि .परिषद			ग्रेड वेतन 2400	अनुसंघान और प्रशिक्षण
		٠.			परिषद, रायपुर
7.	तकनीकी सहायक प्रशिक्षक	01	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200	संचालक, राज्य शैक्षिक
	रा.शै.प्रबं.एवं प्रशि .संस्थान		Z	ग्रेड वेतन 2400	अनुसंधान और प्रशिक्षण
				7.5 11.7 2400	परिषद, रायपुर
8.	स्टेनोटायपिस्ट	03	तृतीय श्रेणी	₹ 5200-20200	संचालक, राज्य शैक्षिक
	रा.शै.अनु.एवं प्रशि .परिषद्			ग्रेड वेतन 1900	अनुसंधान और प्रशिक्षण
	,			:	परिषद, रायपुर
9.	डाटा एन्ट्री आपरेटर		तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200	संचालक, राज्य शैक्षिक
	1.रा.शै.अनु.एवं प्रशि .परिषद्	02		ग्रेड वेतन 1900	अनुसंघान और प्रशिक्षण
	2.रा.शे.प्रब.एवं प्रशि संस्थान	02			परिषद, रायपुर
	3.आंग्ल भा. प्रशि संस्थान	01	,		
İ	(संविदा)				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
: 0.	बाह्न चालक		तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200	संचालक, राज्य शैक्षिक
	1 स.शै. अनु एव प्रशि .परिषद्	01		ग्रेड वेतन 1900	अनुसंघान और प्रशिक्षण
	2.उन्नत अध्ययन शिक्षण	01	1 		परिषदः रायपुर
	संस्थान •		1		,
	3 शिक्षा महाविद्यालय	01			

अनुसूची—एक (द) (नियम 5 देखिये)

राज्य शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद के अधीन आने वाले जिला शैक्षिक अनुसंघान एवं प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी

(अ) विषिक वर्गीय श्रेणी—

.41. 45	पद के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान / ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कार्यालय अधीक्षक जि.शि.एवं प्रशि .संस्थान	07	तृतीय श्रेणी	रू 9300—34800 ग्रेड वेतन 4300	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रिन्छण परिषद, रायपुर
2.	सहायक ग्रेड— जि.शि.एवं प्रशि .संस्थान	09	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200 ग्रेड वेतन 2800	संचालक, राज्य धैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
3.	सहायक ग्रेड / गणक 1.जि.शि.एवं प्रशि संस्थान 2.बृनि. प्रशि संस्थान	32	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200 ग्रेड वेतन 2400	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर
4.	सहायक ग्रेड—।।। 1.जि.शि.एवं प्रशि .संस्थान 2.बुनि. प्रशि संस्थान 3.जि. आंग्ल भा. केन्द्र	110 02 03	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200 ग्रेड वेतन 1900	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
5 .	अंग्रेजी टायपिस्ट जि आंग्ल भा. केन्द्र	03	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200 ग्रेड वेतन 1900	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

• •		*						
स.क.	पदों के नाम	पदों की	वर्गीकरण	वेतनमान / ग्रेड	नियुक्ति प्राधिकारी			
		कुल"	er star i	वेतन	XII. A			
		संख्या						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1.	स्टेटीशियन जि.शि.एवं प्रशि संस्थान	07	तृतीय श्रेणी	रू 9300—34800 ग्रेड वेतन 4300	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण			
					परिषद, रायपुर			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	सहायक प्रोग्रामर	09	तृतीय श्रेणी	रू 9300-34800	संचालक, राज्य शैक्षिक
	जि:शि.एवं प्रशि .संस्थान		_	ग्रेड वेतन ४२००	अनुसंधान और प्रशिक्षण
				,	परिषद, रायपुर
3.	छात्रावास अधीक्षक	09	तृतीय श्रेणी	रू 9300—34800	संचालक, राज्य शैक्षिक
	जि.शि.एवं प्रशि संस्थान		,	ग्रेड वेतन ४२००	अनुसंधान और प्रशिक्षण
					परिषद, रायपुर
4.	स्टेनो ग्रेड-3	16	तृतीय श्रेणी	रू 5200-20200	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं
	जि.शि.एवं प्रशि .संस्थान			ग्रेड वेतन 2800	प्रशिक्षण संस्थान
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष	07	तृतीय श्रेणी	रू 5200−20200	प्राचार्य,जिला शिक्षा एवं
	जि.शि एवं प्रशि .संस्थान			ग्रेड वेतन 2800	प्रशिक्षण संस्थान
6.	सहायक ग्रंथपाल	09	तृतीय श्रेणी	रू 5200—20200	प्राचार्य,जिला शिक्षा एवं
	जि.शि.एवं प्रशि .संस्थान			ग्रेड वेतन 2800	प्रशिक्षण संस्थान
7.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	09	तृतीय श्रेणी	₹ 5200-20200	प्राचार्य,जिला शिक्षा
	जि.शि.एवं प्रशि .संस्थान		-	ग्रेड वेतन 1900	एवं प्रशिक्षण संस्थान

अनुसूची—दो (अ) (नियम 6 देखियें)

लोक शिक्षण संचालनालय के कर्मचारी

स.क.	पद के नाम	पदों की		। वाले पदों का प्रतिशत	अन्य सेवाओं से कर्मचारियों के	टिप्पणी
-		कुल	सीधी\भर्ती			
•	,	संख्या	द्वारो	अस्थाई सदस्यों	स्थानांतरण द्वारा	
٠				की पदोन्नति		
(4)	(0)	(0)	(a)	द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अधीक्षक	01	_	१०० प्रतिशत		
2.	सहायक अधीक्षक	04	_	100 प्रतिशत		
3.	सहायक ग्रेड-1	11	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत		-
4.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	01	_	100 प्रतिशत	_	
5.	सहायक ग्रेड—।।	16	_	100 प्रतिशत	_	
6.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	03		100 प्रतिशत	•	_
7	सहायक ग्रेड— । । ।	22	75 प्रतिशत	25 प्रतिशतं	-	सहायक ग्रेड।।। के स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पदों में नियमित भृत्यों को पदोन्नित दी जायेगी

	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>						
1	स.क. 🕆	पद के नाम	पदों की		वाले पदों का	अन्य सेवाओं से	टिप्पणी
ľ			कुल्		प्रतिशत	कर्मचारियों के	· .
		•	संख्या	सीधी भर्ती	सेवा में मूल	स्थानांतरण द्वारा	
				द्वारा	अस्थाई सदस्यों	,	
			,		की पदोन्नति		
				·	द्वारा		
-	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	1.	स्टेनो ग्रेड-1	01		100 प्रतिशत		_
							,
	2.	स्टेनो ग्रेड-2	01	-	100 प्रतिशत		_
		. •					
	3.	सहायक	02		. —	· <u></u>	सांख्यकीय विभाग
		सांख्यकीय					से प्रतिनियुक्ति
		अधिकारी		• •			ह्रारा
	•						
-	4.	ग्रंथपाल उच्च	01		100 प्रतिशत	. –	_
	••.	वेतनमान					
							*. **
\vdash	5.	स्टेनो ग्रेड–3	03	80	20 प्रतिशत	_	
. -	J.	(0 11 20 0		प्रतिशत			
-	6.	डाटा एन्ट्री	05	100			
	U.	आपरेटर	03	प्रतिशत			
F		रटेनोटायपिस्ट	03	100		_	
	. 7 .	रत्नाटायापस्ट	03	प्रतिशत प्रतिशत			
L							
	8.	वाहन चालक	05	100	_	· - ·	
				प्रतिशत			<u> </u>

अनुसूची—दो (ब) (नियम 6 देखियें)

लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के अधीन आने वाले जिला शिक्षा कार्थालय के कर्मचारी

٠,					11		
Ì	स.क.	पद के नाम	पदों की	भरे जाने वाले पदों की		अन्य सेवाओं	टिप्पणी
			कुल	प्रतिशत	. ,)	से कर्मचारियों	
	•	•	संख्या	सीधी भर्ती	सेवा में मूल	के स्थानांतरण	
				द्वारा	अस्थाई	द्वारा	
					सदस्यों की		
					पद्मोन्नति द्वारा	•	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ļ	1.	मुख्य लिपिक	20		100 प्रतिशत	. -	-
	2.	सहायक ग्रेड- ।	40	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत		_
					·		,
	3.	वरिष्ठ लेखा	20		100 प्रतिशत	<u>-</u> '	_
		परीक्षक					

(1)	(2)	(ε)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	सहायक ग्रेड-11/ लेखापाल	1862	 ,	100 प्रतिशत	-	_
5.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	40	-	100 प्रतिशत	-	
6.	सहायक ग्रेड-।।।	2855	७५ प्रतिशत	25 प्रतिशत		

(ब)	अलिपिक वर्गाय १	प्रणा—		· 1	***	
स.क.	पद के नाम	पदों की	भरे जाने वा	ले पदी का	अन्य सेवाओं	टिप्पणी
		संख्या	प्रतिशत		से कर्मचारियों	
			सीधी भर्ती	सेवा में मूल	के स्थानांतरण	
			द्वारा	अस्थायी	द्वारा	
			4	सदस्यों की	aixi	
			:	पदोन्नति द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	स्टेनो ग्रेड-2	07	(4)	(४) 100 प्रतिशत	(6)	\ \frac{\frac{1}{2}}{2}
	10 11 20 2	01	_	JUN SIGSIG		
<u> </u>						
2.	सहायक	20	_	100 प्रतिशत	_	. –
7	सांख्यकीय					
	अधिकारी					
1.						
3.	वरिष्ठ पी.टी.आई.	04		400 मिल		2 2 2 2
J		04	_	100 प्रतिशत		नियमित कर्मचारियों
	(शारीरिक शिक्षा					की अनुपलब्धता की
	महाविद्यालय)					दशा में सीमित
						परीक्षा के माध्यम से
						(शिक्षा कर्मी पी.टी.
		V.				आई.)
4.	ग्रंथपाल उच्च				-	नियमित कर्मचारियों
	वेतनमान के लिये					की अनुपलब्धता की
	1.जिला हेतु	08		100 प्रतिशत		दशा में सीमित
*	2.शारीरिक शिक्षा	01	_	100 प्रतिशत		परीक्षा के माध्यम से
	महाविद्यालय			IOO SICIRICI		(शिक्षा कर्मी
						ग्रन्थपाल)
5.	स्टेनो ग्रेड–3	13	80	20 प्रतिशत	· ·	_
			प्रतिशत	A		
6.	डाटा एन्ट्री	111	100	-		
	आपरेटर		प्रतिशत .			
7.	अन्देषक	61	100		_	_
			प्रतिशत			
8.	वाहन चालक	20	100			_
		0	प्रतिशत			_
لــــــا		L	AMM		•	

अनुसूची—दो (स) (नियम 6 देखियें)

संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद एवं इसकी अधीनस्थ संस्थाओं के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी—

स.क.	पद के नाम	पदों की	भर्ग जाने व	ाले पदों का	अन्य सेवाओं	T Daniel
	,	1	प्रतिश			टिप्पणी
	•	कुल संख्या	सीधी भर्ती		से कर्मचारियों	1
		साख्या	1	सेवा में मूल	के स्थानांतरण	
			द्वारा	अस्थाई	द्वारा	
				सदस्यों की		
				पदोन्नति		
(4)	(2)			द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक अधीक्षक		. -	100 प्रतिशत		_
	रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद्	01				
2.	मुख्य लिपिक			100 प्रतिशत		
	1.उन्नत अध्ययन शिक्षण	01				,
	संस्थान	01		·		
	२.शिक्षा महाविद्यालय			·		
3.	सहायक सहायक ग्रेड ॥/		-	100 प्रतिशत		
<u>'</u>	लेखापाल		*			
	१.रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद्	08				
	2.रा.शै.प्रबं.एवं प्रशि .संस्थान	01				
	3.आंग्ल भा. प्रशि .संस्थान	01				
	४.उन्नत अध्ययन शिक्षण	01				
	संस्थान	01				
	5. शिक्षा महाविद्यालय					
4.	सहायक ग्रेड-।।।		75 .	25 प्रतिशत		सहायक ग्रेड।।।
ļ	1.रा.शे.अनु.एवं प्रशि.परिषद्	11		20 MINKIN		
	2.रा.शै.प्रबं.एवं प्रशि.संस्थान	01	प्रतिशत		,	के स्वीकृत पदों
	3.आंग्ल भा.प्रशि.संस्थान	.01				के 25 प्रतिशत
	4.उन्नत अध्ययन शिक्षण	03]		पदों में नियमित
	संस्थान	03				भृत्यों को
	5. शिक्षा महाविद्यालय	03		1		पदोन्नति दी
<u> </u>	उ. रिष्पा ग्लापधालय					जायेगी

स.क.	पद के नाम	पदों की	भरे जाने वा	भरे जाने वाले पदों का		टिप्पणी
		कुल	प्रतिशत		कर्मचारियों के	
		संख्या	सीधी भर्ती	सेवा में मूल	रथानांतरण	
	,		द्वारा	अस्थाई	द्वारा	
				सदस्यों की		
				पदोन्नति द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आर्टिस्ट	01	100		-	
	रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद्		प्रतिशत	-		
L		<u> </u>				`.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	<u> </u>
2.	सहायक सांख्यिकीय	01	(4)	(5)	(6)	(7)
	अधिकारी					प्रतिनियुक्ति द्वारा
	रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद्					
3.	स्टेनो ग्रेड-3	02	100	_	_	<u> </u>
	रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद्		प्रतिशत			
4.	ग्रंथपाल		_	100 प्रतिशत	-	
	1.रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद्	01				
	2.उन्नत अध्ययन शिक्षण	01			-	
	संस्थान	01				
	3.शिक्षा महाविद्यालय					•
5.	सहायक ग्रंथपाल	01	100			
	रा.शे.प्रबं.एवं प्रशि.संस्थान		प्रतिशत		-	·
				•	-	
6.	कम्प्यूटर डिजाईनर	01	100	_		
	रा.शे.अनु.एवं प्रशि.परिषद		प्रतिशत			
7.	तकनीकी सहायक प्रशिक्षक	01	- 100	,	_	,
	रा.शै.प्रबं.एवं प्रशि.संस्थान		प्रतिशत			
8.	डाटा एन्ट्री आपरेटर		100		_ `}~	·
	1.रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद्	02	प्रतिशत			
	2.रा.शै.प्रबं.एवं प्रशि.संस्थान	02				•
-	3.आंग्ल भा.प्रशि.संस्थान (संविदा)	01				
	(रामिषा)	· * .	-			
9.	स्टेनोटायपिस्ट	03	100			
	रा.शे.अनु.एवं प्रशि.परिषद्		प्रतिशत	. ~.		
10.	वाहन चालक		100	· <u> </u>		
	1.रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद्	01	प्रतिशत			
	2.उन्नत अध्ययन शिक्षण	01				
	संस्थान	01				
	3 शिक्षा महाविद्यालय					

अनुसूची—दो (द) ((नियम 6 देखिये)

राज्य शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद के अधीन आने वाले जिला शैक्षिक अनुसंघान एवं प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी

स.क.	पद के नाम	पदों की	भरे जाने वा प्रतिशत	ले पदों का	अन्य सेवाओं से कर्मचारियों	टिप्पणी
		कुल संख्या	सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में मूल अस्थाई सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कार्यालय अधीक्षक जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान	07	<u>-</u>	100 प्रतिशत	-	
2.	सहायक ग्रेड—1 जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान	09	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	-
3.	सहायक सहायक ग्रेड ।।/ गणक			100 प्रतिशत	_	
	1.जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान 2.बुनि. प्रशि.संस्थान	32 02			1	
4.	सहायक ग्रेड—।।। 1.जि शि.एवं प्रशि.संस्थान 2.बुनि. प्रशि.संस्थान 3.जि. आंग्ल भा. केन्द्र	110 02 03	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत		सहायक ग्रेड।।। के स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पदों में नियमित भृत्यों को
	9.171 MH VI (III 77 R	00	V			मृत्या का पदोन्नति दी जायेगी
5.	अंग्रेजी टाग्रपिस्ट जि. आंग्ल भा. केन्द्र	03	100 प्रतिशत	<u>-</u>	_	_

					Z	अन्य सेवाओं	
स	क. │	पद के नाम	पदों	l .	भरे जाने वाले पदों का		टिप्पणी
1			की	प्रतिशत 🕯		से कर्मचारियों	
<u>ا</u> ا	.		कुल .	सीधी भर्ती	सेवा में मूल	के स्थानांतरण	
	. [•	संख्या	द्वारा	अस्थाई	द्वारा	,
1			राख्या	भारा	,	RICI	·
4					सदस्यों की		
1					पदोन्नति		·
	٠. ا	, i			द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-		7.00					
	1.	स्टेटीशियन	07	100	_	_	•
1		जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान		प्रतिशत			
	2.	स्टेनो ग्रेड–3	16	100	_	- .	
-		जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान		प्रतिशत			
	3.	सहायक प्रोग्रामर	09	100			
		जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान		प्रतिशत			
	4.	छात्रावास अधीक्षक	09.	_	_	<u>-</u>	शिक्षक संकाय
		जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान					से प्रतिनियुक्ति
	5.	पुस्तकालयाध्यक्ष	07		100 प्रतिशत		
		जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान			-		- 1
	6.	सहायक ग्रंथपाल	09	100			<i>i</i>
	-	जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान		प्रतिशत			
	7.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	09	100	_	_	
Ŀ	<u> </u>	जि.शि.एवं प्रशि.संस्थान		प्रतिशत			

अनुसूची—तीन (अ) (नियम 8 देखिये)

संचालनालय लोक शिक्षण के कर्मचारी

स.क.	पद के	न्यूनतम	अधिकतम	शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति	टिप्पणी
	नाम	आयु	आयु सीमा	•		
		सीमा	J			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से	1. संचालक, लोक	
	ग्रेड-3		(छत्तीसगढ़	(10+2) परीक्षा उत्तीर्ण.	शिक्षण या उनके	
	·		राज्य के	2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से	द्वारा मनोनीत	
			मूल	डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में	सदस्य- अध्यक्ष	
		·	निवासियों	एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र,	2. उप संचालक,	
			के लिए 35	तथा	लोक शिक्षण—	
			वर्ष)	3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग में	सदस्य	
				5,000 की (key)डिप्रेशन प्रति	3. सहायक	
				घंटे	संचालक,	1
				की गति होनी चाहिए ।	स्थापनासदस्य	
					सचिव	

स.क.	पद के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	स्टेनो ग्रेड—3	18 .	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	 किसी मान्यता प्राप्त मंडल / विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या रनातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण किसी मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद से':- 	शिक्षण या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य—अध्यक्ष 2. उप संचालक, • लोक शिक्षण— सदस्य	
				(क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए कमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की	 सहायक संचालक, स्थापना –सदस्य सचिव 	
,				गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन.		
•			·	(ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए कमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन	,	
				(स) द्विभाषी शीघलेखक के लिए ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा हिन्दी शीघलेखन तथा कम्प्यूटर में टाईप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण पत्र धारण करता हो ।		
				3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण— पत्र तथा डाटा एन्ट्री में 10,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए ।		
2.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	18	30	 किसी मान्यता प्राप्त मंडल / विश्वविद्यालय से कक्षा 12 वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण. अथवा वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा. 	 संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य—अध्यक्ष उप संचालक, लोक शिक्षण— सदस्य 	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		7.	•	2. डाटा एन्ट्री आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति	3. सहायक संचालक, स्थापना — सदस्य सचिव	
3	टेनो ाइपिस्ट	· 18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल / विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यकम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.	 संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा मनोनीत संदस्य—अध्यक्ष 	
				 किसी मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गित से कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गित, 	 उप संचालक, लोक शिक्षण– सदस्य सहायक संचालक, स्थापना –सदस्य 	
, .				3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण— पत्र तथा डाटा एन्ट्री में 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए ।	सचिव	
4.	वाहन चालक	18	30	1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण ।	1. संचालक लोक शिक्षण या उनके	
			i	2. भारी तथा हल्के वाहन चालन हेतु ड्रायविंग लाईसेंस रखता हो ।	द्वारा मनोनीत सदस्य—अध्यक्ष 2. उप संचालक लोक शिक्षण— सदस्य	
	- Contract of the contract of				3. सहायक संचालक, स्थापना —सदस्य सचिव	

अनुसूची—तीन (ब) (नियम 8े देखिये)

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के अधीन आने वाले जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मचारी

(अ) लिपिक वर्गीय श्रेणी—

स.क.	पद के	न्यूनतम्	अधिकतम	शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति	टिप्पणी
	नाम	आयु	आयु सीमा		•	
		सीमा				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल	1. जिला शिक्षा	
	ग्रेड–3		(छत्तीसगढ़	से :(10+2) परीक्षा उत्तीर्ण.	अधिकारी –अध्यक्ष	
		r	राज्य के	2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से	2. जिला कलेक्टर द्वारा	
,			मूल	डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग	नामांकित अधिकारी	
			निवासियों	में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण	–सदस्य	
			के लिए 35	पत्र, तथा	3. सहायक संचालक,	
1. :-			वर्ष)	3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग में	स्थापना –	
				5,000 की (key)डिप्रेशन प्रति	सदस्य सचिव	
				घंटे की गति होनी चाहिए ।		

स.क	पद के	न्यूनतम	अधिकतम	शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति	टिप्पणी
	नाम	आयु सीमा	आयु सीमा			
(1)	(2)	(3)	(4)	. (5)	(6)	(7)
1.	सहायक सांख्यकीय अधिकारी	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1.अर्थशास्त्र / वाणिज्य / गणित / मनोविज्ञान, जिसमें सांख्यकीय एक पेपर के रूप में सम्मिलित हो, में स्नातकोत्तर डिग्री. या 2 सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर डिग्री.	तांचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य—अध्यक्ष उप संचालक, लोक शिक्षण— सदस्य सहायक संचालक, स्थापना —सदस्य सचिव	
2.	वरिष्ठ पी टी आई (शा शिक्षा महाविद्या लय)	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)		 जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी —सदस्य सहायक संचालक, स्थापना — सदस्य सचिव 	

	(0)	l. (-)				·
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	ग्रंथपाल	18	30	1.स्नातक डिग्री तथा	1. संचालक लोक	
	उच्च		(छत्तीसगढ़	पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री /	शिक्षण या उनके द्वारा	,
	वेतनमान		राज्य के मूल	डिप्लोमा	मनोनीत सदस्य-अध्यक्ष	
	(1)जिला		निवासियों के	2.शासकीय शाला में ग्रंथपाल	2. उप संचालक, लोक	
	ग्रंथालय		लिए 35 वर्ष)	के रूप में तीन वर्ष के कार्य	शिक्षण- सदस्य	
	हेतु	·	,	का अनुभव.	3. सहायक संचालक,	. •
	(2) शा.			3	स्थापना –सदस्य	
	शिक्षा			·	सचिव	
	महा-				1177	
	विद्यालय					
	हेतु				•	
4.	अन्वेषक	18	30	1. अर्थशास्त्र / गणित / वाणिज्य	1. जिला शिक्षा	-
· - Th	01 4147	. 10	्ठित्तीसंगढ़	ा. अवशास्त्र/ गागरा/ पाणिव में		
		,		· ·	अधिकारी— अध्यक्ष	
			राज्य के मूल निवासियों के	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा	2. जिला कलेक्टर द्वारा	
		*		द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण	नामांकित अधिकारी	
			लिए 35 वर्ष)	2. कम्प्यूटर में डी सी ए	सदस्य	
			•	उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी	3 सहायक संचालक,	•
				जायेगी	्स्थापना – सदस्य	
	,				सचिव	
5.	स्टेनो	18	30		1. जिला शिक्षा	
	ग्रेड–3		(छत्तीसगढ़	मंडल / विश्वविद्याल य से 🔻	अधिकारी— अध्यक्ष	
			राज्य के मूल	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या	2. जिला कलेक्टर द्वारा	
		:	निवासियों के	(10+2) उत्तीर्ण या रनातक		94 - 1944 134 - 1944
			लिए 35 वर्ष)	पाठ्यकम की प्रथम वर्ष परीक्षा	–सदस्य	
				उत्तीर्ण.	3. सहायक संचालक,	
				2. किसी मान्यता प्राप्त	स्थापना—	
				मंडल / संस्था या शीघ्रलेखन	सदस्य सचिव	,
				तथा मुद्रलेखन परिषद से:-		
				(क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए		
			. :	कमशः 100 शब्द प्रति मिनट	1. A	
			•	तथा 30 शब्द प्रति मिनट की		
				गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा		,
				कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप		
			٠.	लेखन		
				(ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के		
				लिए कमश 100 शब्द प्रति		
	1 1			मिनट तथा 35 शब्द प्रति		
				मिनट की गति से अंग्रेजी		
		•				
			, ,	शीघलेखन तथा कम्प्यूटर में		
. \	1.			अंग्रेजी टाईप लेखन		
				(ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				लिए ऊपर खण्ड (क) तथा		
1				(ख) में विनिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा		
				हिन्दी शीघ्रलेखन तथा	,	
				कम्प्यूटर में टाईप लेखन,		
1				परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का		,
				प्रमाण पत्र धारण करता हो.		-
						L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		`		3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था		
		\.		से डाटा एन्ट्री आपरेटर /		
			į ·	प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय		
'				डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा		
		J		डाटा एन्ट्री में 10,000 की		
		:		(key) डिप्रेशन प्रति घंटे की	, ,	
				गति होनी चाहिए.		
6.	डाटा	⁄18 .	30	1. किसी मान्यता प्राप्त	1. जिला शिक्षा	
	एन्ट्री		(छत्तीसगढ़	मंडल / विश्वविद्यालय से कक्षा	अधिकारी— अध्यक्ष	
	आपरेटर	·	राज्य के मूल	12 वीं (10+2) परीक्षा बोर्ड	2. जिला कलेक्टर द्वारा	
			निवासियों के	द्वारा उत्तीर्ण, अथवा	नामांकित अधिकारी —	
			लिए 35 वर्ष)	कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा	सदस्य	
				उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में	3. सहायक संचालक,	
				त्रिवर्षीय डिप्लोमा पा्ठ्यक्रम.	रथापना – सदस्य	
				2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था	सचिव	
				से डाटा एन्ट्री		
				आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक		
	,			वर्षीय डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर		
		. -		में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000		
				की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे		
			,	की गति.		
7.	वाहन	18	30	1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा	1. जिला शिक्षा	
	चालक		(छत्तीसगढ़	(10+2) उत्तीर्ण ।	अधिकारी अध्यक्ष	
			राज्य के मूल		2. जिला कलेक्टर द्वारा	
			निवासियों के	चालन हेतु ड्रायविंग लाईसेंस	नामांकित अधिकारी	
			लिए 35 वर्ष)	रखता हो ।	–सदस्य	
					3. सहायक संचालक,	
	/	1	,		स्थापना – सदस्य	
				•	सचिव	

अनुसूची—तीन (स) (नियम 8 देखिये)

संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद एवं इसकी अधीनस्थ संस्थाओं के कर्मचारी

स.क.	पद का	न्यूनतम	अधिकतम	शैक्षणिक. अर्हताएं	चयन समि	टिप्पणी
	नाम	आयु	आयु सीमा			1
		सीमा				
				(-)	(0)	/ -
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त	1. संचालक, राज्य	
Ì	ग्रेड-।।।		(छत्तीसगढ़	मंडल से (10+2) परीक्षा	शैक्षिक अनुसंधान और	
			राज्य के मूल	उत्तीर्ण.	प्रशिक्षण परिषद या	
		:	निवासियों के	2. किसी मान्यता प्राप्त	उनके द्वारा मनोनीत	
			लिए 35 वर्ष)	संस्था से डाटा एन्ट्री	सदस्य-अध्यक्ष	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		.1		वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र, तथा 3. कम्प्यूटर में हिन्दी	संस्थान / शिक्षा महाविद्यालय— सदस्य 3. सहायक	

स.क.	पद के .	न्यूनतम	अधिकतम	शेक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति	टिप्पणी
	नाम	आयु	आयु सीमा		1	
		सीमा			(a)	(-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आर्टिस्ट	18	30	1. मान्यता प्राप्त संस्था से	1. संचालक, राज्य	
			(छत्तीसगढ़	ललित कला में प्रथम श्रेणी	शैक्षिक अनुसंधान एवं	
			राज्य के मूल		प्रशिक्षण परिषद् या	
			1 . 1	2. शासकीय / अर्द्दशासकीय	उनके द्वारा मनोनीत	
			लिए 35 वर्ष)	संस्था में संबंधित क्षेत्र में	सदस्य –अध्यक्ष	
				कार्य का 05 वर्षीय अनुभव.	2. प्राचार्य, उन्नत	
					अध्ययन शिक्षण	
					संस्थान / शिक्षा	
1.					महाविद्यालय- सदस्य	
,				~•	. ३. सहायक संचालक /	
					सहा प्राध्यापक	
				*	स्थापना– सदस्य	
					सचिव	
2.	सहायक	18	30	1. स्नातक डिग्री तथा	1. संचालक, राज्य	
	ग्रंथपाल		(छत्तीसगढ़	पुस्तकालय विज्ञान में	शैक्षिक अनुसंधान एवं	
		,	राज्य के मूल		प्रशिक्षण परिषद या	
	· ·		निवासियों के		उनके द्वारा मनोंनीत	
ľ			लिए 35 वर्ष)	ग्रंथपाल के रूप में तीन वर्ष	सदस्य –अध्यक्ष	
			,	के कार्य का अनुभव.	2. प्राचार्य, उन्नत	
\bigvee				9	अध्ययन शिक्षण	
- \					संस्थान / शिक्षा	
					महाविद्यालय- सदस्य	
1					3. सहायक संचालक /	
				•	सहा प्राध्यापक	
1					स्थापना-सदस्य सचिव	ļ
		1				
	स्टेनो	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त	1. संचालक, राज्य	
3.	1	10	्रा (छत्तीसगढ़	मंडल / विश्वविद्यालय से	शैक्षिक अनुसंधान एव	. 1
	ग्रेड-3		राज्य के मूल	1	प्रशिक्षण परिषद या	
			निवासियों के		उनके द्वारा मनोनीत	
				1 ' -	I	
			लिए 35 वर्ष)	वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.	(1414 01944)	
		1		पष पराद्या उत्ताण.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. किसी मान्यता प्राप्त	2. प्राचार्य, उन्नत	
				मंडल / संस्था या शीघ्रलेखन	अध्ययन शिक्षण	
				तथा मुद्रलेखन परिषद से-	संस्थान / शिक्षा	
		, ,		(क) हिन्दी शीघ्रलेखक के	महाविद्यालय- सदस्य	
1.				लिए कमशः 100 शब्द प्रति	3. सहायक संचालक /	
5	1		1	मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी	सहा प्राध्यापक स्थापना—सदस्यः सचिव	
				शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में	रवायान्तपरच सावप	
				हिन्दी टाईप लेखन		:
				(ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के		
				लिए कमशः 100 शब्द प्रति		
				मिनट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी		
				शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में		:
				अंग्रेजी टाईप लेखन.		
				(ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के		
				लिए ऊपर खण्ड (क) तथा		
			•	(ख) में विनिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा हिन्दी शीघ्रलेखन तथा		
				कम्प्यूटर में टाईप लेखन,		
				परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का		÷
				प्रमाण पत्र धारण करता हो.		
				3. किसी मान्यता प्राप्त		
				संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक		
		. :		वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र		;
				तथा डाटा एन्ट्री में 10,000		
			· · ·	की (key) डिप्रेशन प्रति		
				घंटे की गति होनी चाहिए.		
4.	डाटा एन्ट्री	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त	1. संचालक, राज्य	
	आपरेटर		(छत्तीसगढ़	मंडल / विश्वविद्यालय से	शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या	. -
			राज्य के मूल निवासियों के	कक्षा 12 वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण	प्राशक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत	
			लिए 35 वर्ष)	अथवा	सदस्य –अध्यक्ष	
			, ••	10 वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण	2. प्राचार्य, उन्नत	
.				एवं किसी भी विषय में	अध्ययन शिक्षण	-
				त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम	संस्थान / शिक्षा	· /
				उत्तीर्ण	महाविद्यालय- सदस्य	· /
				2. किसी मान्यता प्राप्त	3. सहायक संचालक /	/-
			•	संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक	सहा प्राध्यापक स्थापना-सदस्य सचिव	
				वर्षीय डिप्लोमा तथा	जाना। राषरप सावप	
				कम्प्यूटर में हिन्दी एवं		
				अंग्रेजी में 8000 की (key)		
		•		डिप्रेशन प्रति घटे की गति.		

	1175	 1
	(7)	
,		-
Ī		
	,	

_							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	5.	कम्प्यूटर	18	30	1 बी सी ए या कम्पयूटर	1. संचालक, राज्य	
		डिजाईनर		(छत्तीसगढ़	डिजाईनिंग / ग्राफिक्स में	शैक्षिक अनुसंधान एवं	
				राज्य के मूल	डिप्लोमा तथा शासकीय/	प्रशिक्षण परिषद् या	
1				निवासियों के	अर्द्वशासकीय अथवा मान्यता	उनके द्वारा मनोनीत	
				लिए 35 वर्ष)	प्राप्त संस्था में 02 वर्ष का	सदस्य –अध्यक्ष	
		-			अनुभव.	2. प्राचार्य, उन्नत	
					•	अध्ययन शिक्षण	
					·	संस्थान / शिक्षा	
						महाविद्यालय— सदस्य	1
				•		3. सहायक संचालक /	
		1				सहा प्राध्यापक	
						स्थापना-सदस्य सचिव	
\vdash	6.	स्टेनो	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त	1. संचालक, राज्य	
	J.	टायपिस्ट	.0		मंडल / विश्वविद्यालय से	शैक्षिक अनुसंधान एवं	İ
		CIMITAL		राज्य के मूल	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या	प्रशिक्षण परिषद या	
				निवासियों के	(10+2) उत्तीर्ण या स्नातक	उनके द्वारा मनोनीत	
			• •	लिए 35 वर्ष)	पाठ्यकम की प्रथम वर्ष	सदस्य –अध्यक्ष	
	•			ाल ५ ३० वष्	परिक्षा उत्तीर्ण.	सदस्य —अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत	
	•				परावा उत्साण.	2. प्रायाय, उप्पता अध्ययन शिक्षण	İ
					a f - 1		
					2. किसी मान्यता प्राप्त	संस्थान / शिक्षा	
1					मंडल / संस्था से 25 शब्द	महाविद्यालय— सदस्य	
ŀ					प्रति मिनट की गति से	3. सहायक संचालक/	
					कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप	सहा प्राध्यापक	
					लेखन परीक्षा उत्तीर्ण साथ	स्थापना-सदस्य सचिव	
					ही हिन्दी शीघ्रलेखन में 60		
					शब्द प्रति मिनट की गति,		
					तथा	•	
	•					·	
					3. किसी मान्यता प्राप्त	•	
1					संस्था से डाटा एन्ट्री		
					आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक		
					वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र		
		·			तथा डाटा एन्ट्री में 5,000	·	
					की (key) डिप्रेशन प्रति	,	
					घंटे की गति होनी चाहिए		
	·				TO THE INTERNATION		
Y	7	तकनीकी	18	30	1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा	1. संचालक, राज्य	
		सहायक			(10+2)उत्तीर्ण एवं आई टी	शैक्षिक अनुसंधान एवं	
				(छत्तीसगढ़	आई उत्तीर्ण.	प्रशिक्षण परिषद या	
	1			राज्य के मूल		उनके द्वारा मनोनीत	
	5			निवासियों के	अथवा	सदरः -अध्यक्ष	
1				लिए 35 वर्ष)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था		
					से कोपा या समकक्ष	2. प्राचार्य, उन्नत	
ļ					योग्यता.	अध्ययन शिक्षण	
					याग्यता.	संस्थान / शिक्षा	
						महाविद्यालय- सदस्य	
						3. सहायक संचालक /	
						सहा प्राध्यापक	
					1	स्थापना-सदस्य सचिव]

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	8.	वाहन	18	30	1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा	1. संचालक, राज्य	
		चालक		(छत्तीसगढ़	(10+2) उत्तीर्ण.	शैक्षिक अनुसंधान एव	
				राज्य के मूल	2. भारी तथा हल्के वाहन	प्रशिक्षणः परिषद या	
				निवासियों के	चालन हेतु ड्रायविंग लाईसेंस	उनके द्वारां मनोनीत	
ļ				लिए 35 वर्ष)	रखता हो.	सदस्य –अध्यक्ष	
		,		,		2. प्राचार्य, उन्नत	
					,	अध्ययन शिक्षण	
			•			संस्थान / शिक्षा	
	•					महाविद्यालय- सदस्य	
						3. सहायक संचालक/	
						सहा प्राध्यापक	h. '
	· . ·					स्थापना-सदस्य सचिव	
							,

अनुसूची—तीन (द) (नियम 8 देखिये)

राज्य शैक्षिक अनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिषद के अधीन आने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी

स.क.	पद के	न्यूनतम	अधिकतम	शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति	टिप्पणी
(1.9)	नाम	आयु	आयु सीमा	State 14 Steeling		, - , ,,
		सीमा	0113 (1111			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त	1. प्राचार्य, जिला शिक्षा	
	ग्रेड—।।।		(छत्तीसगढ़	मंडल से (10+2) परीक्षा	एवं प्रशिक्षण संस्थान,-	
:		: 1	राज्य के मूल	उत्तीर्ण.	अध्यक्ष	
			निवासियों के	2. किसी मान्यता प्राप्त	2 जिले के कलेक्टर	
			लिए 35 वर्ष)	संस्था से डाटा एन्ट्री	के द्वारा नामांकित	
				आपरेटर / प्रोग्र।मिंग में एक	सदस्य – सदस्य	
				वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र,	3. सहायक संचालक /	
				तथा	सहा प्राध्यापक स्थापना	
				3. कम्प्यूटर में हिन्दी	– सदस्य सचिव	<i></i>
, ,	,		:	टायपिंग में 5,000 की		/.
				(key)डिप्रेशन प्रति घंटे	,	
].				की गति होनी चाहिए.		
2.	अंग्रेजी	. 18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त	1. प्राचार्य, जिला शिक्षा	7
	टायपिस्ट		(छत्तीसगढ़	मंडल या संस्था से उच्चतर	एवं प्रशिक्षण संस्थान,-	$\int \int dx dx$
			राज्य के मूल	माध्यमिक परीक्षा (10+2)	अध्यक्ष	
			निवासियों के	उत्तीर्ण.	2 जिले के कलेक्टर	
			लिए 35 वर्ष)	2. किसी मान्यता प्राप्त	के द्वारा नामांकित	
			,	संस्था से डाटा एन्ट्री	सदस्य – सदस्य	
				आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक	3.सहायक संचालक /	
			,	वर्षीय डिग्री / डिप्लोमा,	सहा प्राध्यापक स्थापना	
				तथा	– सदस्य सचिव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	. (6)	(7)
			,	3. कम्प्यूटर में अंग्रेजी टायपिंग में 5,000 की (key)डिप्रेंशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए.		

स.क.	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	स्टेटीशियन	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1.अर्थशास्त्र / वाणिज्य / गणित / मनोविज्ञान, जिसमें सांख्यकीय एक पेपर के रूप में सम्मिलित है, स्नातकोत्तर डिग्री. या 2. सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर डिग्री.	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य—अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय—सदस्य 3. सहायक संचालक/सहा प्राध्यापक स्थापना—सदस्य	
2.	सहायक प्रोग्रामर	18	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. कम्प्यूटर साइंस या इन्फारमेशन टेक्नालॉजी में डिग्री तथा कम्प्यूटर साइंस में एक वर्ष का अनुभव. या 2. गणित/भौतिकी/ सांख्यिकी विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री के साथ पी.जी.डी.सी.ए. तथा कम्प्यूटर साइंस में एक वर्ष का अनुभव.	1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य—अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान / शिक्षा महाविद्यालय— सदस्य 3. सहायक संचालक / सहा प्राध्यापक स्थापना —सदस्य सचिव	

14		(2)	(2)	· (4)	(5)	(6)	(7)
3	<u>)</u>	(2) पुरतकालय	(3) 18	(4) 30	(5) 1. स्नातक तथा पुस्तकालय	१५) १ संचालक, राज्य	
د ا).	-	10	उ० (छत्तीसगढ़	विज्ञान में डिप्लोमा/डिग्री.	शैक्षिक अनुसंधान	
		अध्यक्ष		राज्य के मूल	2.शासकीय शाला में	् एवं प्रशिक्षण	
				निवासियों के	ग्रंथपाल के रूप में तीन वर्ष	परिषद या उनके	
		¥ .		_	के कार्य का अनुभव	द्वारा मनोनीत	
				लिए 35 वर्ष)	क काय का अनुनय.	सदस्य-अध्यक्ष	
						२. प्राचार्य, उन्नत	
						यः प्राचीय, उपाता अध्ययन शिक्षण	
		*	·,			अध्ययन । राजन संस्थान / शिक्षा	
						महाविद्यालय—	
						महात्रधालय- सदस्य	
				,		अपस्य 3. सहायक	
						उ. सहायक संचालक / सहा	
						प्राध्यापक स्थापना	
	F.					प्राध्यापक स्थापना सदस्य सचिव	
				0.7	4 7777		1 1
4	۱.	सहायक	18	30	1 रनातक तथा पुरतकालय	 संचालक, राज्य शैक्षिक 	
		ग्रंथपाल	**	(छत्तीसगढ़	विज्ञान में डिप्लोमा / डिग्री. 2.शासकीय शाला में		
				राज्य के मूल निवासियों के	्रशासकाय शाला म ग्रंथपाल के रूप में तीन वर्ष	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	
					i	प्राशिक्षण परिषद या उनके द्वारा	
	- •	-		लिए 35 वर्ष)	के कार्य का अनुभव.	या उनक द्वारा मनोनीत	ļ. :
				· .		सदस्य—अध्यक्ष 2. प्राचार्य, उन्नत	,
					`	2. प्राचाय, उप्पत अध्ययन शिक्षण	
٠.			,				
					. 1	संस्थान / शिक्षा महाविद्यालय—	
			,		·	महाविधालय- सदस्य	
٠.	Ì						
						3. सहायक	
				:	·	संचालक / सहा प्राध्यापक	
				÷			
ŀ					14.	रथापना	
					4 1 11111	-सदस्य सचिव	
5). ·	स्टेनो ग्रेड–3	· · 18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त	1. संचालक, राज्य शैक्षिक	
ľ		*	, ,	(छत्तीसगढ़	मंडल/ विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीधा		٠,
				राज्य के मूल	उच्यतर माध्यमिक परीधा या (10+2) उत्तीर्ण या	अनुसंधान एतं प्रशिक्षण परिषद	. A.
				निवासियों के			, 1
		•		लिए 35 वर्ष)	स्नातक पाठ्यकम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.	या उनके द्वारा मनोनीत	
			,		वष परक्षा उत्ताण. 2. किसी मान्यता प्राप्त	मनानात सदस्य-अध्यक्ष	/ /
						. प्राचार्य, उन्नत	/ /
					मंडल / संस्था या शीघ्रलेखन	2. प्राचाय, उप्पत अध्ययन शिक्षण	,'
		-	4	· ·	तथा मुद्रलेखन परिषद से:- (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के	अध्ययन शिक्षा संस्थान / शिक्षा	1 -
						सस्थान / शिक्षा महाविद्यालय—	
					लिए कमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति	'	
		•				सदस्य २ गुलगुरू	
					मिनट की गति से हिन्दी	3. सहायक	
		•			शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में	संचालक / सहा	
					हिन्दी टाईप लेखन	प्राध्यापक	
			·		(ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के	स्थापना	·
L	<u> </u>				लिए कमशः 100 शब्द प्रति	–सदस्य सचिव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			·	मिनट तथा 35 शब्द प्रति		
			. •	मिनट की गति से अंग्रेजी		
	• • • • •			शीघलेखन तथा कम्प्यूटर में		
				अंग्रेजी टाईप लेखन.		
1			·	(ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के		
1, 1				लिए ऊपर खण्ड (क) तथा		
				(ख) में विनिर्दिष्ट अंग्रेजी	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				तथा हिन्दी शीघ्रलेखन तथा		
				कम्प्यूटर में टाईप लेखन,		,
				परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का		
		1		प्रमाण पत्र धारण करता हो.		
		. :		3. किसी मान्यता प्राप्त		
				संस्था से डाटा एन्ट्री		
		1		आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक		
				वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र	23	
				तथा डाटा एन्ट्री में 10,000		
				की (key) डिप्रेशन प्रति		
				घंटे की गति होनी चाहिए	y.	
6.	डाटा एन्ट्री	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त	1. संचालक, राज्य	
	आपरेटर		्र (छत्तीसगढ़	मंडल / विश्वविद्यालय से	शैक्षिक	
		\	राज्य के मूल	कक्षा 12 वीं (10+2) परीक्षा	अनुसंधान एवं	
			निवासियों के	उत्तीर्ण.	प्रशिक्षण परिषद	
			लिए 35 वर्ष)	अथवा	या उनके द्वारा	
				10 वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण	मनोनीत	
				एवं किसी भी विषय में	सदस्य-अध्यक्ष	
				त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम	2. प्राचार्य, उन्नत	
				उत्तीर्ण.	अध्ययन शिक्षण	
				2. किसी मान्यता प्राप्त	संस्थान / शिक्षा	
				संस्था से डाटा एन्ट्री	महाविद्यालय—	
				आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक	सदस्य	
			1	वर्षीय डिप्लोमा तथा	3. सहायक	
				कम्प्यूटर में हिन्दी एवं	संचालक / सहा	
				अंग्रेजी में 8000 की (key)	प्राध्यापक	
				डिप्रेशन प्रति घटे की गति.	स्थापना	
		, ,			-सदस्य सचिव	
						

टीप— उन अभ्यर्थियों के लिये, जो छत्तीसगढ राज्य के मूल निवासी हैं, की उच्चतर आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलर्न होगी।

अनुसूची—चार (अ) (नियम 13.14.15.16 एवं 17 देखियें)

लोक शिक्षण संचालनालय

स.क.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिससें पदोन्नति की जानी है	पद हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक अधीक्षक	अधीक्षक	05 वर्ष	 संचालक लोक शिक्षणें या उनके द्वारा नामांकित् सदस्य— अध्यक्ष उप संचालक लोक शिक्षण —सदस्य सहायक संचालक स्थापना— सदस्य सचिव 	
2.	सहायक ग्रेड–1	सहायक अधीक्षक	05 वर्ष	संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित सदस्य— अध्यक्ष उप संचालक लोक शिक्षण —सदस्य सहायक संचालक स्थापना— सदस्य सचिव	
3.	सहायक ग्रेड— । ।	सहायक ग्रेड—1	05 वर्ष	संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नागांकित सदस्य— अध्यक्ष उप संचालक लोक शिक्षण —सदस्य सहायक संचालक स्थापना— सदस्य सचिव	
4.	लेखापाल / कनिष्ट लेखा परीक्षक	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	05 वर्ष	 संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित सदस्य— अध्यक्ष उप संचालक लोक शिक्षण —सदस्य सहायक संचालक स्थापना— सदस्य सचिव 	वरिष्ठ लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	सहायक ग्रेड— । । ।	सहायक ग्रेड— । ।, लेखापाल तथा कनिष्ठ लेखा परीक्षक	05 वर्ष	संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित सदस्य— अध्यक्ष उप संचालक लोक शिक्षण —सदस्य सहायक संचालक स्थापना— सदस्य सिंवव	लेखापाल, किनष्ट लेखा परीक्षक तथा वरिष्ट लेखा परीक्षक में पदोन्नति के लिये लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियमित भृत्य)	सहायक ग्रेड–3	05 वर्ष	संचालक लोक शिक्षण या उनके द्वारा नामांकित सदस्य— अध्यक्ष उप संचालक लोक शिक्षण —सदस्य सहायक संचालक स्थापना— सदस्य सचिव	संचालनालय में सहायक ग्रेड।।। के स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पदों में नियमित भृत्यों को पदोन्नति दी जायेगी.

	स.क.	उस पद	उस पद	पद हेतु	विभागीय पदोन्नति समिति	टिप्पणी
		का नाम	का नाम	अनुभव	के सदस्य	
		जिससे	जिस पर	. •		
		पदोन्नति	पदोन्नति	·		
		की जानी है	की जानी			
			含			
-	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.	स्टेनो	स्टेनो	०५ वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण या	
-	;	ग्रेड2	ग्रेड1		उनके द्वारा नामांकित	
1					सदस्य- अध्यक्ष	
			 		2. उप संचालक लोक	
					शिक्षण —सदस्य	.*
		•			3. सहायक संचालक	
					स्थापना-सदस्य सचिव	
	2.	ग्रंथपाल	ग्रंथपाल	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण या	
		निम्न	उच्च		उनके द्वारा नामांकित	
		वेतनमान	वेतनमान		सदस्य- अध्यक्ष	
		-			2. उप संचालक लोक	·
					शिक्षणसदस्य	
,					3. सहायक संचालक	
·			,		स्थापना- सदस्य सचिव	
	3.	स्टेनो	स्टेनो	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण या	
		ग्रेड-3	ग्रेड-2		उनके द्वारा नामांकित	
					सदस्य- अध्यक्ष	
					2. उप संचालक लोक	
					शिक्षण —सदस्य	
					3. सहायक संचालक	
					स्थापना-सदस्य सचिव	

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4.	स्टेनो	स्टेनो	०५ वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण या	
		टायपिस्ट	ग्रेड-3	एवं स्टेनो	उनके द्वारा नामांकित	या संस्थान से हिन्दी
				ग्रेड-3 की	सदस्य अध्यक्ष	शीघ्रलेखन / मुद्रलेखन परीक्षा
				योग्यता	2 उप संचालक लोक शिक्षण	उत्तीर्ण.
			٠.	अनुसूची—	–सदस्य	
1				3 अनुसार	3 सहायक संचालक	
L				होने पर	स्थापना सदस्य सचिव	

अनुसूची—चार (ब) (नियम 13.14.15.16 एवं 17 देखियें)

लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के अधीन जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मचारी

			,		
स.क.	उस पद	उस पद	पद हेतु	विभागीय पदोन्नति समिति	टिप्पणी
	का नाम	का नाम	अनुभव	के सदस्य	
	जिससे	जिसमें			
	पदोन्नति	पदोन्नति			
	की जानी	की जानी			
	है	हे			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक	मुख्य	05 वर्ष	1. जिला शिक्षा अधिकारी –	
	ग्रेड-1	लिपिक	• • •	अध्यक्ष	
		1-		2. उप संचालक लोक	
				शिक्षण –सदस्य	
			, .	3.सहायक संचालक	
				स्थापना— सदस्य सचिव	
2.	सहायक	सहायक	05 वर्ष	1. जिला शिक्षा अधिकारी —	
	ग्रेड-2	ग्रेड1		अध्यक्ष	
				2. उप संचालक लोक	
				शिक्षण —सदस्य	
,				3. सहायक संचालक	
				स्थापना- सदस्य सचिव	
	,	·`.			
3.	लेखापाल/	वरिष्ठ	05 वर्ष	1. जिला शिक्षा अधिकारी –	लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना
	कनिष्ठ	लेखा	;	अध्यक्ष	चाहिये
	लेखा	परीक्षक 🕟		2. उप संचालक लोक	
	परीक्षक			शिक्षण -सदस्य	
				3. सहायक संचालक	
				स्थापना- सदस्य सचिव	
		•			
		<u>i.</u>			

(1-)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) -
4.	सहायक	सहायक	05 वर्ष	1. जिला शिक्षा अधिकारी –	लेखापाल, कनिष्ठ लेखा
	ग्रेड-।।।	ग्रेड—।।,		अध्यक्ष	परीक्षक तथा वरिष्ठ लेखा
		लेखापाल	•	2. उप संचालक लोक	परीक्षक में पदोन्नति के लिये
		तथा		शिक्षण —सदस्य	लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना
		कनिष्ठ		3. सहायक संचालक	चाहिये.
		लेखा		स्थापना– सदस्य सचिव	
		परीक्षक		1.	
1.					
5.	चतुर्थ श्रेणी	सहायक	05 वर्ष	1. जिला शिक्षा अधिकारी –	संचालनालय में सहायक
	कर्मचारी	ग्रेड-3		अध्यक्ष	ग्रेड।।। के स्वीकृत पदों के
	(नियमित			2. उप संचालक लोक	25 प्रतिशत पदों में निय मित
	भृत्य)			शिक्षण -सदस्य	भृत्यों को पदोन्नति दी
1	-			3. सहायक संचालक	जायेगी.
<u></u>		·		स्थापना- सदस्य सचिव	

١,	क	उस पद का	उस पद	पद हेतु	विभागीय पदोन्नति समिति	टिप्पणी
		नाम जिससे	का नाम	अनुभव	के सदस्य	
		पदोन्नति की	जिस पर			·
	.	जानी है	पदोन्नति			
			की जानी			
			है		1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	١.	स्टेनो ग्रेड–2	स्टेनो	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण	
			ग्रेड—1		अथवा उनके द्वारा	
		**			नामांकित सदस्य– अध्यक्ष	
					2. उप संचालक लोक	
					शिक्षण- सदस्य	
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			3. सहायक संचालक	
			*		स्थापना – सदस्य सचिव	
				•		
2	2.	अन्वेषक	सहा.	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण	
			सांख्यकीय		अथवा उनके द्वारा	
			अधिकारी		नामांकित सदस्य- अध्यक्ष	
١.					2. उप संचालक लोक	
					शिक्षण- सदस्य	
		,		:	3. सहायक संचालक	
				•	स्थापना – सदस्य	
		,		,	सचिव	
3	3.	कनिष्ठ	वरिष्ठ	05 वर्ष	1. जिला शिक्षा अधिकारी-	
		पी टी आई	पी टी		अध्यक्ष	
		निम्न	आई	-	2. उप संचालक लोक	
		वेतनमान	उच्च		शिक्षण— सदस्य	
		_ :	वेतनमान	•	3. सहायक संचालक	
					स्थापना – सदस्य सचिव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	ग्रंथपाल	ग्रंथपाल	०५ वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण	
	निम्न	उच्च		अथवा उनके द्वारा	
	वेतनमान	वेतनमान		नामांकित सदस्य- अध्यक्ष	
ļ ·		,		2. उप संचालक लोक	·
		·.		शिक्षण- सदस्य	
		•		3. सहायक संचालक	
			,	स्थापना - सदस्य सचिव	·
5.	स्टेनो ग्रेड–3	स्टेनो	05 वर्ष	1. संचालक लोक शिक्षण	
		ग्रेड-2		अथवा उनके द्वारा	
				नामांकित सदस्य– अध्यक्ष	
				2. उप संचालक लोक	,
				शिक्षण- सदस्य	
				3. सहायक संचालक	
				स्थापना – सदस्य सचिव	

अनुसूची—चार (स) (नियम 13.14.15.16 एवं 17 देखियें)

संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा इसकी अधीनस्थ संस्थाओं के कर्मचारी

	·	T			
स.क.	उस पद का	उस पद का नाम	पद हेतु	विभागीय पदोन्नति समिंति	टिप्पणी
	नाम जिससे	जिससें पदोन्नति	अनुभव	के सदस्य	
	पदोन्नति की	की जानी है			
	जानी है	:			
(1)،	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मुख्य लिपिक	सहायक अधीक्षक	05 वर्ष	1. संचालक, राज्य शैक्षिक	
				अनुसंधान और प्रशिक्षण	<i>:</i>
				परिषद या उनके द्वारा	•
		,		मनोनीत सदस्य- अध्यक्ष	
				2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन	,
				शिक्षण संस्थान/शिक्षा	
				महाविद्यालय - सदस्य	
				3. सहायक संचालक /	
				सह प्राध्यापक स्थापना	
				-सदस्य सचिव	
2.	सहायक	मुख्य लिपिक	05 वर्ष	1. संचालक, राज्य शैक्षिक	
	ग्रेड– II /			अनुसंधान और प्रशिक्षण	,[
	लेखापाल		1	परिषद या उनके द्वारा	• /
			!	मनोनीत सदस्य-	
		i	•	2. प्राचार्य, उन्नत ाध्ययन	
				शिक्षण संस्थान / शिक्षा	
	· . 	! :	·	महाविद्यालयसदस्य	
İ				3. सहायक संचालक /	
			<u> </u>	सहा प्राध्यापक स्थापना	
				-सदस्य सचिव	
	: 	<u> </u>		11414 11144	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	सहायक ग्रेड 	सहायक ग्रेड II / लेखापाल	05 वर्ष	 संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य— अध्यक्ष प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान / शिक्षा महाविद्यालय —सदस्य सहायक संचालक / सहा प्राध्यापक स्थापना —सदस्य सचिव 	लेखापाल, किनष्ठ लेखा परीक्षक तथा वरिष्ठ लेखा परीक्षक में पदोन्नति के लिये लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियमित भृत्य)	सहायक ग्रेड—	05 वर्ष	 संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य— अध्यक्ष प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय —सदस्य सहायक संचालक/ सहा प्राध्यापक स्थापना —सदस्य सचिव 	उ.मा.वि परीक्षा उत्तीर्ण

स.क.	उस पद का	उस पद का '	पद हेतु	विभागीय पदोन्नति समिति	्टिप्पणी
	नाम जिससे	नाम जिस	अनुभव	के सदस्य	. 1
	पदोन्नति की				,
	जानी है	की जानी है			
				·	-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक	ग्रथपाल	5 वर्ष	1. संचालक, राज्य शैक्षिक	
	ग्रथपाल	उच्च		अनुसंधान और प्रशिक्षण	
	निम्न वेतनमान	वेतनमान		परिषद या उनके द्वारा	
			*	मनोनीत सदस्य- अध्यक्ष	
		,			
V				2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन	
Λ			į	शिक्षण संस्थान / शिक्षा	
\				महाविद्यालय –सदस्य	
-				·	
				3. सहायक संचालक /	
				सहा प्राध्यापक स्थापना	
<u> </u>				–सदस्य सचिव	

अनुसूची—चार (द) (नियम 13.14.15.16 एवं 17 देखियें)

राज्य शैक्षिक अनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिषद के अधीन आने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी

		• .			
स.क.	उस पद का नाम	उस पद	पद हेतु	विभागीय पदोन्नति समिति के	टिप्पणी
	जिससे पदोन्नति	का नाम	अनुभव	सदस्य 🛴	
	की जानी है	जिससें			
		पदोन्नति			
		की जानी			·
		है			
(1)	(2)	(3) \	(4)	, (5)	(6)
1.	सहायक ग्रेड ।	अधीक्षक	05 वर्ष	1. संचालक, राज्य शैक्षिक	
·.				अनुसंधान और प्रशिक्षण	
				परिषद या उनके द्वारा	
1				मनोनीत सदस्य- अध्यक्ष	
				2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन	
				शिक्षण संस्थान / शिक्षा	
				· ·	
		• .		महाविद्यालय -सदस्य	
				3. सहायक संचालक /	
				सहा प्राध्यापक स्थापना	
				–सदस्य सचिव	
2.	सहायक ग्रेड 🛮 /	सहायक	05 वर्ष	1. संचालक, राज्य शैक्षिक	
	लेखापाल	ग्रेड ।		अनुसंघान और प्रशिक्षण	
				परिषद या उनके द्वारा	
				मनोनीत सदस्य– अध्यक्ष	
				2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन	
				शिक्षण संस्थान / शिक्षा	
				महाविद्यालय –सदस्य	
				3. सहायक संचालक /	
				• • • • •	* /
				सहा प्राध्यापक स्थापना	
				–सदस्य सचिव	
3.	सहायक ग्रेड III	सहायक	05 वर्ष	1. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं	लेखापाल, /
		ग्रेड II /		प्रशिक्षण संस्थान,-अध्यक्ष	कनिष्ठ लेखा
		लेखापाल		2. जिले के कलेक्टर के द्वारा	परीक्षक तथा वरिष्ठ
				नामांकित सदस्य- सदस्य	लेखा परीक्षक में
				3. सहायक संचालक / सहा	पदोन्नति के लिये
				प्राध्यापक स्थापना –सदस्य	लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना
				सचिव	चाहिये.
					नाएभ.
L		<u> </u>	L	L	لسب سيسين

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियमित भृत्य)	सहायक ग्रेड–III	05 वर्ष	 प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,—अध्यक्ष जिले के कलेक्टर के द्वारा नामांकित सदस्य— सदस्य 	
			-	 सहायक संचालक / सहा प्राध्यापक स्थापना — सदस्य सचिव 	

∙स.क.	उस पद का नाम	उस पद का	पद हेतु	विभागीय पदोन्नति समिति	टिप्पणी
	जिससे पदोन्नति	नाम जिस	अनुभव	के सदस्य	
	की जानी है	पर पदोन्नति			
		की जानी है			,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक ग्रंथपाल	ग्रंथपाल	5 वर्ष	1. संचालक, राज्य शैक्षिक	
				अनुसंधान और प्रशिक्षण	
				परिषद या उनके द्वारा	
				मनोनीत सदस्य– अध्यक्ष	
				2. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन	
				शिक्षण संस्थान / शिक्षा	
				महाविद्यालय -सदस्य	
				3. सहायक संचालक /	
			1.33	सहा प्राध्यापक स्थापना	
				-सदस्य सचिव	

टीपः— 1. संचालनालय लोक शिक्षण, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एवं जिले के संवर्ग पृथक—पृथक रहेंगे।"

No. F 4-22/20-2/2009.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Education Department Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2009, namely:

AMENDMENT

In the said rules,-

- 1. For clause (a) and (j) of Rule 2, the following shall be substituted, namely:
 - "(a) "Appointing Authority" means Director, Public Instruction Chhattisgarh and Director, State Council of Educational Research and Training, Raipur or the sub-ordinate officer, as the case may be, who has been delegated the power of appointment or who shall be delegated the power in future;
 - (j) "Director" means Director, Public Instruction Chhattisgarh and Director, State Council of Educational Research and Training, Raipur, as the case may be;"

- 2. For sub-rule (3) of Rule 8, the following shall be substituted, namely:"(3) Fee- The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority."
- 3. In sub-rule (4) of Rule 11, after the words "respective classes" the words "the percentage of reservation declared by the Government, from time to time." shall be added.
- 4. For sub-rule (2) of Rule 15, the following shall be substituted, namely:

 "The selection for inclusion on such list shall be based on seniority-cum-fitness in all respects with due regard to seniority."
- 5. Proviso of sub-rule (3) of Rule 15 shall be omitted.
- 6. For heading of Rule 16, the following shall be substituted, namely:"16. Approval of Appointing Authority.-"
- 7. For Schedule–I, II, III and IV, the following shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE – I (A) (See Rule 5)

Employees of Directorate of Public Instruction Chhattisgarh

(A) Ministerial Grade -

S.	Name of the	Total	Classi-	Pay Scale/	Appointing Authority	
No.	Post	number	fication	Grade Pay		
		of Post				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Superintendent	01	III	9300-34800	Director, Public Instruction	
			•	G.P. 4300	Chhattisgarh, Raipur	
2	Assistant	04	III	9300-34800	Director, Public Instruction	
	Superintendent			G.P. 4200	Chhattisgarh, Raipur	
3	Assistant	11	III	5200-20200	Director, Public Instruction	
	Grade-I			G.P. 2800	Chhattisgarh, Raipur	
4	Senior Auditor	01	III	5200-20200	Director, Public Instruction	
				G.P. 2800	Chhattisga i, Raipur	
5	Assistant	16	III	5200-20200	Director, Public Instruction	
	Grade-II			G.P. 2400	Chhattisgarh, Raipur	
6	Junior Auditor	03	III	5200-20200	Director, Public Instruction	
				G.P. 2400	Chhattisga, Raipur /	
7	Assistant	22	III	5200-20200	Director, Public Instruction	
	Grade-III			-G.P. 1900	Chhattisgarh, Raipur	

(B) Non-Ministerial Grade -

22/2	(12) 17011 174110001104 01000							
S.	Name of the Post	Total	Classi-	Pay Scale/	Appointing Authority			
No.		number	fication	Grade Pay				
		of Post						
(1)	(2)	(3)	(4.)	(5)	(6)			
1	Steno Grade-I	· 01	III	9300-34800	Director, Public Instruction			
				G.P. 4400	Chhattisgarh, Raipur			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Steno Grade-II	01	III .	9300-34800	Director, Public Instruction
				G.P. 4300	Chhattisgarh, Raipur
3	Assistant	02	III	9300-34800	Deputation
	Statistical Officer			G.P. 4300	
4	Librarian High	01	III	5200-20200	Director, Public Instruction
	Pay Scale			G.P. 2800	Chhattisgarh, Raipur
5	Steno Grade-III	03	III	5200-20200	Director, Public Instruction
			_	G.P. 2800	Chhattisgarh, Raipur
6	Data Entry	04	III	5200-20200	Director, Public Instruction
	Operator			G.P. 1900	Chhattisgarh, Raipur
					·
7	Steno Typist .	03	III	5200-20200	Director, Public Instruction
				G.P. 1900	Chhattisgarh, Raipur
8	Driver	05	III	5200-20200	Director, Public Instruction
		- <u></u>		G.P. 1900	Chhattisgarh, Raipur

SCHEDULE – I (B) (See Rule 5)

Employees of District Education Office under Directorate of Public Instruction, Chhattisgarh

(A) Ministerial Grade -

S.	Name of the Post	Total	Classi-	Pay Scale/	Appointing Authority
No.		number	fication	Grade Pay	- Appointing Futurofity
		of Post			•
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Head Clerk	20	III	5200-20200	District Education Officer
	(D.E.Os) District			G.P. 2800	
	Offices		·		
2	Assistant Grade-I	40	III	5200-20200	District Education Officer
				G.P. 2800	
3	Senior Auditor	20	III	5200-20200	District Education Officer
				G.P. 2800	
4	Assistant Grade-II/	1863	III	5200-20200	District Education Officer
	Accountant			G.P. 2400	•
5	Junior Auditor	40	III	5200-20200	District Education Officer
				G.P. 2400	
6	Assistant Grade-III	2640	III	5200-20200	District Education Officer
				G.P. 1900	

S. No.	Name of the Post	Total number of Post	Classi- fication	Pay Scale/ Grade Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Steno Grade-II	07	III	9300-34800 G.P. 4300	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur
2	Assistant Statistical Officer	20	III	9300-34800 G.P. 4300	Director, Public Instruction Chhattisgarh, Raipur

· · ·					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	^ (6)
3	Senior P.T.I.	04	III	9300-34800	District Education Officer
	(For College of		,	G.P. 4200	
	Physical	•			
	Education)				
4	Steno Grade-III	13	ДII	5200-20200	District Education Officer
				G.P. 2800	
5	Librarian Senior				
	Pay Scale				
	(1) For District	08	Ш	5200-20200	Director, Public Instruction
	Library	01		G.P. 2800	Chhattisgarh, Raipur
	(2) For Physical			•	
	Education				
. '	College.				
6	Data Entry	111	III	5200-20200	District Education Officer
,	Operator			G.P. 1900	
7	Investigator	61	III	5200-20200	District Education Officer
				G.P. 1900	
8	Driver	20	III	5200-20200	District Education Officer
				G.P. 1900	

SCHEDULE – I (C) (See Rule 5)

Employees of Director, State Council of Educational Research and Training and its subordinate Institutions

S. No.	Name of the Post	Total number	Classi- fication	Pay Scale/ Grade Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Assistant Superintendent S.C.E.R.T.	01	III	9300-34800 G.P. 4200	Director, S.C.E.R.T,Raipur
2	Head Clerk 1. I.A.S.E. 2. College of Teacher Education	01 01	- III	5200-20200 G.P. 2800	Director, S.C.E.R.T,Raipur
3	Assistant Grade-II/ Accountant 1. S.C.E.R.T. 2. S.I.E.M.A.T. 3. E.L.T.I. 4. I.A.S.E. 5. College of Teacher Education	08 01 01 01 01	III	5200-20200 G.P. 2400	Director, S.C.E.R.T,Raipur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Assistant' Grade-III		·		
	1. S.C.E.R.T	11	III	5200-20200	Director,
	2. S.I.E.M.A.T	Òl	-	G.P. 1900	S.C.E.R.T,Raipur
	3. E.L.T.I	01			
	4. I.A.S.E	03			
	5. College of Teacher	03			
	Education	· .			

Ŝ.	Name of the Post	Total	Classi-	Pay Scale/	Appointing Authority
No.	Traine of the Fost	number.	fication	Grade Pay	Appointing Authority
1.0.	·	of Post	rication	Grade ray	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Artist S.C.E.R.T.	01	III	9300-34800	Director, S.C.E.R.T,Raipur
				G.P. 4400	
2	Assistant Statistical	01	III	9300-34800	Deputation /
	Officer S.C.E.R.T.			G.P. 4300	•
3	Steno Grade III	02	III	5200-20200	Director, S.C.E.R.T,Raipur
	S.C.E.R.T.			G.P. 2800	
4	Librarian			5200-20200	Director, S.C.E.R.T,Raipur
	1. S.C.E.R.T.	01	III	G.P. 2800	
	2. I.A.S.E	01			
	3. College of Teacher	01	1		
	`Education				
5	Assistant Librarian	01	III	5200-20200	Director, S.C.E.R.T,Raipur
	S.C.E.R.T.			G.P. 2800	
	\			, 1.	
6	Computer Designer \	01	III ·	5200-20200	Director, S.C.E.R.T, Raipur
	S.C.E.R.T.			G.P. 2400	
7	Technical Assistant	01	III	5200-20200	
	Instructor	٠.		G.P. 2400	Director, S.C.E.R.T,Raipur
	S.I.E.M.A.T.				
8	Steno Typist	03	III	5200-20200	Director, S.C.E.R.T,Raipur
	S.C.E.R.T.		1	G.P. 1900	
9	Data Entry Operator				
·	1. S.C.E.R.T	- 02	III	5200-20200	Director, S.C.E.R.T,Raipur
	2. S.I.E.M.A.T	02		G.P. 1900	
	3. E.L.T.I	01			
	(Samvida)				·
10	Driver				
	1. S.C.E.R.T	01	III	5200-20200	Director, S.C.E.R.T,Raipur
	2. I.A.S.E	- 01		G.P. 1900	
•	3. College of	01		,	
	Teacher Education				

SCHEDULE – I (D) (See Rule 5)

Employees of District Institute of Educational Research and Training Comes under S.C.E.R.T.

(A) Ministerial Grade -

S.	Name of the Post	Total	Classi-	Pay Scale/	Appointing Authority
No.		number	fication	Grade Pay	
		of Post	•		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Office Superintendent	07	III	9300-34800	Director, S.C.E.R.T,Raipur
	D.I.E.T.			G.P. 4300	
2	Assistant Grade-1	09	III	5200-20200	Director, S.C.E.R.T,Raipur
	D.I.E.T.			G.P. 2800	
3	Assistant Grade -II/		III	5200-20200	Director, S.C.E.R.T,Raipur
	Accountant			G.P. 2400	
	1. D.I.E.T.	32			
	2. B.T.I	02			
4	Assistant Grade- III		III	5200-20200	Principal D.I.E.T.
	1. D.I.E.T.	110		G.P. 1900	
	2. B.T.I	02			
	3. D.C.E.	03			
5	English Typist	03	III	5200-20200	Principal D.I.E.T
	D.C.E.			G.P. 1900	

S. ,	Name of the Post	Total	. Classi-	Pay Scale/	Appointing Authority
No.	1	number	fication	Grade Pay	
		of Post			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
- 1	Ș tatistician	07	III	9300-34800	Director, S.C.E.R.T,Raipur
	Ď.I.E.T.			G.P. 4300	·
2	Assistant Programmer	09	III	9300-34800	Director, S.C.E.R.T,Raipur
	D.I.E.T.			G.P. 4200	
3	Hostel Suprintendent	09	III	9300-34800	Director, S.C.E.R.T,Raipur
· .	D.I.E.T.			G.P. 4200	
4	Steno Grade- III	16	III	5200-20200	Principal D.I.E.T
	D.I.E.T.	ļ		G.P. 2800	
5	Head Librarian		III	5200-20200	Principal D.I.E.T
	D.I.E.T.	07		G.P. 2800	
6	Assistant Librarian		III	5200-20200	Principal D.I.E.T
	D.I.E.T.	09		G.P. 2800	,
·7	Data Entry Operator	09	III.	5200-20200	Principal D.I.E.T
	D.I.E.T.	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	G.P. 1900	

SCHEDULE – II (A) (Sec Rule 6)

Employees of Directorate of Public Instruction

(A) Ministerial Grade -

S.	Name of the Post	Total	Percentage of	Posts to be filled	By transfer	Remark
No.		number	By Direct	By Promotion	of	
		of Post	Recruitment	of Original	employees	
				Temporary Members in Service	from other services	
				Scrvice		,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Superintendent	01	-	100%		-
2	Assistant Superintendent	04	, ⁻ •	100%	-	
3	Assistant Grade- I	11	25%	75%		-
4	Senior Auditor	01	·	100%	_	-
5	Assistant Grade-II	16	-	100%	~	-
6	Junior Auditor	03	-	100%	-	-
7	Assistant Grade -III	22	75%	25%	•	Permanent peons will
			,			be promoted in 25%
				•	. , . ,	sanctioned post of Assistant Grade-III.

S. No.	Name of the Post	Total number of Post	_	Prosts to be led By Promotion of Original Temporary Members in Service	Remarks By transfer of employees from other services	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Steno Grade -I	01	_	100%		
2	Steno Grade- II	01	-	100%		-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Assistant Statistical Officer	02	-	-	-	By Deputation
						from Statical Department
4	Librarian High Pay Scale	01	-	100%	-	· -
5	Steno Grade- III	03	80%	20%	-	-,
6	Data Entry Operator	05	100%	-	-	_
7	Steno Typist	03	100%	•	-	_
8	Driver	05	100%	-	_	-

SCHEDULE – II (B) (See Rule 6)

Employees of District Education Offices Comes under Directorate of Public Instruction, Chhattisgarh

S. No.	Name of the Post	Total number	•	of Posts to be	By transfer of	Remark
		of Post	By Direct Recruitment	By Promotion of Original Temporary Members in Service	employees from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Head Clerk	20	-	100%		_
2	Assistant Grade- I	40	25%	75%	-	
3	Senior Auditor	20	-	100%		- /
4	Assistant Grade- II/ Accountant	1862	• .	100%	-	
5	Junior Auditor	40	-	100%	-	- /
6	Assistant Grade -III	2855	75%	25%	-	

S.	Name of the Post	No.	Percentage of Po	ists to be filled	By transfer	Remark
No.	Traine of the 1 out	of	By Direct	By	of	ixillal K
110.	· \	Post	Recruitment.	Promotion of	employees	
į		FUSL	Recluitment.		from other	.,
	• •			Original	** 1	
			•	Temporary	services	
	•			Members in		
	·		.•	Service		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u>'</u>	· · · · · ·			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	to the set of the set					
1	Steno Grade -II	07	• , •	100%	<u>-</u>	-
	•	,				. ,,
2	Assistant Statistical	20	_	100%		
	Officer					
3	Senior PTI	04	_	100%		In case of
	(Physical Education					non
	College)					availability
						of regular
_					•	employees
		,				
	•					then through
						limited
					•	examination
	•				•	(shiksha
	•					Karmi PTI)
4	Librarian			•	- '	In case of
	Senior Pay Scale for					non /
						availability
	1-For district	°- 08	-	100%		of regular
-	2- Physical	01 -	_	100%		employees
	Education		. ° ∙ €			then through
	College		• •			limited
	3					examination
						(shiksha
1	•			,		Karmi /
	1				·	Librarian)
5	Stone Gudde III	12	ena.	200		
3	Steno Grade -III	-13	80%	20%		•
<u></u>	Data Data O		1000	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6	Data Entry Operator	111	100%	=.		· ·
1			10000	<u> </u>		
7	Investigator	61	100%			-
8	Driver	20	100%	=	.	-

SCHEDULE -II (C) (See Rule 6)

Employees of Director, State Council of Educational Research and Training and its subordinate Institutions

S. No.	Name of the Post	Total number		of Posts to be	By transfer of employees	Remark
No.	FOST	of Post	By Direct Recruitment	By Promotion of Original Temporary Members in Service	from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Assistant Superintendent S.C.E.R.T.	01	-	100%	-	_
2	Head Clerk 1. I.A.S.E. 2. College of Teacher	01 01	-	100%		_
3	Assistant Assistant	-	-	100%	_	-
	Grade-II/ Accountant 1. S.C.E.R.T. 2. S.I.E.M.A.T. 3. E.L.T.I.	08 01 01				
	4. I.A.S.E. 5. College of Teacher Education	01 01	.			
4	Assistant Grade-III 1. S.C.E.R.T. 2. S.I.E.M.A.T.	11 01	75%	. 25%		Permanent peons will be promoted in 25% sanctioned
·	3. E.L.T.I. 4. I.A.S.E. 5. College of Teacher Education	01 03 03				post of Assistant Grade-III.

$\int_{0}^{\infty} \frac{1}{S}$	Name of the Post	Total	Percentage (of Posts to be	By transfer of	Remark
No.		number	fil	led	employees	Kemark
		of Post	By Direct	Ву	from other	}
			Recruitment	Promotion of	services	
			Recruitment	Original	SELVICES	
		1		Temporary		
				Members in		
				Service		
				Service		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Artist	01	100%	-	-	-
	S.C.E.R.T.					
2	Assistant	01			-	Ву
	Statistical Officer				•	Deputation
	S.C.E.R.T.					F
3	Steno Grade -III	02	100%	-	-	-
	S.C.E.R.T.				•	
4	Librarian		•	100%	-	-
	1. S.C.E.R.T	01	-			
-	2. I.A.S.E.	01	:		•	
	3. College	01			•	
	ofTeacher	.			,	'
	Education				•	
. 5	Assistant	01	100%	-	_	-
	Librarian					-
<u> </u>	S.I.E.M.A.T.					
6	Computer	01	100%	-	-	
	Designer					
	S.C.E.R.T.		4.2.2.			
7	Technical	01	100%	-	- .	·
	Assistent Instructer				•	
			_			
8	S.I.E.M.A.T.		1000			
O	Data Entry Operator		100%	-	- .	
-	1. S.C.E.R.T.	02				•
<u> </u>	1. S.C.E.R. 1. 2. S.I.E.M A.T.	02 02	·			
	2. S.I.E.M A. I. 3. E.L.T.I.	01				
-	(Contract	UI				
	Base)					
9	Steno Typist		100%			
	S.C.E.R.T.	03	100%	- '	·	~
10	Driver	03	100%		·	
*	1. S.C.E.R.T.	01	100%	-	-	- .
	2. I.A.S.E.	01				
	3. College of	01				
	Teacher	O1		•	•	•
	Education		,			
L	Dancation	<u> </u>				

SCHEDULE - II (D) (See Rulc 6)

Employees of District Institute of Educational Research and Training comes under S.C.E.R.T.

(A) Ministerial Grade -

S. No.	Name of the Post	Total number	Percentage o		Remarks By transfer of	Remark
		of Post	By Direct Recruitment	By Promotion of Original Temporary Members in Service	employees from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Office Superintendent D.I.E.T.	07	_	100%	-	-
. 2	Assistant Grade-I D.I.E.T.	09	25%	75%		_
3	Assistant Grade-II/ Accountant 1. D.I.E.T. 2. B.T.I.	32 02		100%		-
4	Assistant Grade- III 1. D.I.E.T. 2. B.T.I. 3. E.L.T.I.	110 02 03	75%	25%	-	Permanent peons will be promoted in 25% sanctioned post of Assistant Grade-III.
5	English Typist E.L.T.I.	03	100%	. •		-

S.	Name of the Post	Total	Percentage of	Posts to be filled	Remarks	Remark
No.		number of Post	By Direct Recruitment	By Promotion of Original Temporary Members in Service	By transfer of employees from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Statistician D.I.E.T.	07	100%	- -	\ -	<u>-</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Steno Grade -III	16	100%	-	-	- ,
	D.I.E.T.					
3	Assistant	09	100%	- '	•	-
	Programmer		1	·		
	D.I.E.T.		<u> </u>			
4	Hostel	09	-	_	_	deputation
	Suprintendent					from
	D.I.E.T.					teaching
						faculty
.5	Head Librarian	07		100%	-	-
	D.I.E.T.					
6	Assistant	09	100%	_	_	-
	Librarian		1			
	D.I.E.T.					
7	Data Entry	09	100%	-		-
	Operator				•	
	D.I.E.T.					

SCHEDULE – III (A) (See Rule 8)

Employees of Directorate of Public Instruction

	S. No.	Name of the Post	Mini- mum age	Maxi- mum age		Education Qualification	Selection Committee	Remark
			limit	limit		-		
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
	1	Assistant Grade III	18	30	1.	Passed (10+2)	1.Director	
!			l	(35 years		examination	Public	; !
ļ				for	1	from any	Instruction or	
				domicile		recognized	member	į
				resident		Board.	nominated by	1
				of	2.	Passed one year	him	
1			•	Chhattis-		Diploma/Certific	Chairperson	i
				garh		ate in Data Entry	2.Deputy	!
				State)		Operator/	Director	ì
				ŕ		Programming	Public	
						from any	Instruction	İ
)						recognized	Member	!
Y						institute, and	3.Assistant	
					3.	Should have speed of data	Director Establishment	
İ					Ì	entry 5,000 key	-Member 3.	-
						depression per	Secretary	
						hour in Hindi		
						Computer	£	
						Typing.		•
						-7 F ***********************************		

S. No.	n-Ministerial Grade - Name of the Post	Mini- mum age limit	Maxi- mum age limit	Education Qualification	Selection . Committee	Remark
$\overline{(1)}$	(2)	(3)	(4)	(5)	. (6)	(7)
1	Steno Grade- III	18	30 (35 years for domicile resident of Chhattis- gárh State)	1. Passed Higher \ Secondary Examination or passed (10+2) or 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/ University. 2. From any recognized Board/Institution or Stenography and Typing Council:-	1. Director Public Instruction or member nominated by him Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction Member 3. Assistant Director Establish- ment- Member	
				(a) Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in Computer with speed of 100 wpm and 30 wpm espectively for Hindi Steno- grapher.	Secretary	
				(b) Passed English Shorthand and English Typing in Computer with speed of 100 wpm and 35 wpm espectively for English Stenographer.		
				(c) Passed certificate course of Hindi and English Shorthand and Typing in computer as specified in clause (a) and (b) above for bilingual Stenographer.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. Should have one year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and should have speed of 10,000 key Depression per hour in data entry.		
2	Data Entry Operator	18	Do	1. Passed 12 th (10+2) Examination from any recognized Board/ University. Or Passed 10 th Board Examination and three years Diploma course in any subject. 2. Should have one year Diploma in Data Entry Operator/ Programming from any recognized Institute and speed of 8,000 key depression per hour in computer in Hindi and English.	1. Director Public Instruction or member nominated by him Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction Member 3. Assistant Director Establish- ment- Member Secretary	
3	Steno Typist	18	Do	1. Passed Higher Secondary Examination or passed (10+2) or 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/University. 2. Passed Computer Hindi Typing examination with speed of 25wpm along with speed of 60 wpm in Stenography from any recognized Board/Institute, and	1. Director Public Instruction or member nominated by him Chairperson 2. Deputy Director Public Instruction Member 3. Assistant Director Establish- ment- Member Secretary	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. One year Diploma/		
				Certificate in Data Entry		
		,		Operator/ Programming		
				from any recognized		
			•	institute and should have		
	·			speed of 5000 key depression		
	·			per hour in data entry.	, v	
4	Driver ,	18	, Do	1. Passed Higher Secondary Exam	1. Director Public	
			. •	(10+2). 2. Having Driving	Instruction or member	
	4			License for heavy and Light	nominated by him	
				Vehicle Driving.	Chairperson 2. Deputy	·
					Director Public	
					Instruction Member	
					3. Assistant Director	
1					Establish- ment-	
.:					Member- Secretary	

SCHEDULE -- III (B) (See Rule 8)

Employees of District Education Offices Comes under Directorate of Public Instruction Chhattisgarh

· · · / .			,			
S. No.	Name of the Post	Mini- mum age limit	Maximum age limit	Education Qualification	Selection Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)/
1	Assistant Grade-	18	30 (35 years for domicile resident of Chhattis- garh State)	1. Passed (10+2) examination from any recognized Board. 2.Passed one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/	1.District Education Officer - Chairperson 2. Nomince of District Collector - member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Programming from any recognized institute, and 3. Should have speed of data entry 5,000 key depression per hour in Hindi Computer Typing.	3. Assistant Director Establishment Member Secretary	

S. No.	Name of the Post	Mini- mum age limit	Maximum age limit	Education Qualification	Selection Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7).
1	Assistant Statistical Officer	18	30 (35 years fo domicile resident of Chhattisgarh State)	1. Post graduate degree in Economics/ Commerce / Maths / Psychology including Statistics as one of the paper. OR 2. Post graduate degree in Statistics.	1. Director Public Instruction or member nominated by him Chairperson 2. Deputy Director Public InstructionMember 3. Assistant Director Establish- ment- Member Secretary	
2	Senior PTI	18	do	1. Graduate degree	1. District	.4
	(Physical Education College)			and Diploma in Physical Education. 2. Minimum three years teaching experience in the Government/ Panchayat School. 3. Graduate degree in Physical Education will be preferred.	Education Officer Chairperson 2. Nominate Officer by District Collector Member 3. Assistant Director Establishment Member Secretary	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 4	Librarian High Pay	18	do	1. Graduation degree	1. Director	\'./
. 3	Scale	10	u.o	and degree/	Public	
	(1) For District			diploma in	Instruction	
	1			Library Science.	or member	
	Library		,	. •		
	(2) For Physical		•	2. Three years	nominated	
	Education			Working	by him	
	College		, ,	experience as	Chairperson	
			•	Librarian in	2. Deputy	
			,	Government	Director	
		, .	,	School.	Public	
				·	Instruction.	
	·				-Member	
			,		3. Assistant	
					Director	
		-			Establish-	
			,		ment-	
	•		-		Member	
	. •	,	(l · ·	Secretary	
4	Investigator	18	do	1. Passed 2 nd	1. District	
" -	investigator	10	uo	division Higher	Education	
,				Secondary .	Officer.	
			,	Examination in	Chairperson	
	•		,	Economics/Maths	2. Nominate	
				/ Commerce.	Officer by	
	·			2. D.C.A.in	District	
			**	Computers pass	Collector -	
				will be given	Member	
				preference	3. Assistant	
			,		Director	
					Establish-	
					ment	
	,	,			Member	
					Secretary	•
5	Steno Grade- III	18	do	. Passed Higher	1. District	
3	Stello Grade- III	10	u o	Secondary	Education	
				Examination or	Officer	
				passed (10+2) or	Chairperson	
				1st year	2. Nominate	
				examination of	Officer by	
	. •			Graduation Course	District	
				from any	Collector	
	I .		İ			
				. recognized Roard/	- Member	
·			jr · · ·	recognized Board/	- Member	
				University.	3. Assistant	
			gerere Erigina en t ere <u>a</u>	University. 2.From any	3. Assistant Director	
			n english Tarang ta	University. 2.From any recognized Board/	3. Assistant Director Establish-	. 2
:			gar Naga	University. 2.From any	3. Assistant Director Establish- ment	7
		100 mg/m		University. 2.From any recognized Board/	3. Assistant Director Establish-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
				University. 2.From any recognized Board/ Institution or Stenography and	3. Assistant Director Establishment Member	
		* ***		University. 2.From any recognized Board/ Institution or Stenography and Typing Council:-	3. Assistant Director Establish- ment	
				University. 2.From any recognized Board/ Institution or Stenography and	3. Assistant Director Establishment Member	,
				University. 2.From any recognized Board/ Institution or Stenography and Typing Council:-	3. Assistant Director Establishment Member	
				University. 2.From any recognized Board/ Institution or Stenography and Typing Council:- (a) Passed Hindi Shorthand and	3. Assistant Director Establishment Member	
				University. 2.From any recognized Board/ Institution or Stenography and Typing Council:- (a) Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in	3. Assistant Director Establishment Member	
				University. 2.From any recognized Board/ Institution or Stenography and Typing Council:- (a) Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in Computer with	3. Assistant Director Establishment Member	
				University. 2.From any recognized Board/ Institution or Stenography and Typing Council:- (a) Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in	3. Assistant Director Establishment Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	$\overline{(7)}$
				and 30 wpm respectively for Hindi Stenographer.		
				(b) Passed English Shorthand and English Typing in Computer with speed of 100 wpm and 35 wpm respectively for English Stenographer.		
		,		(c) Passed certificate course of Hindi and English Shorthand and Typing in computer as specified in clause (a) and (b) above for bi-lingual	•	
				Stenographer. 3. Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from		
				any recognized institute and should have speed of 10,000 key Depression per hour in data entry.		
6	Data Entry Operator		do	1. Passed 12 th (10+2) Examination from any recognized Board/ University.	1.District Education Officer - Chairperson 2. Nominate Officer by	
,				Or Passed 10 th Board Examination and three years Diploma course in any subject. 2. Should have one	District Collector Member 3. Assistant Director 'Establishment - Member Secretary	
		-		year Diploma in Data Entry		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Operator/ Programming from any recognized Institute and speed of 8,000 key depression per hour in computer in Hindi and English.		
7	Driver	18	do	1. Passed Higher Secondary Examination (10+2). 2. Having Driving License for heavy and Light Driving.	1.District Education Officer Chairperson 2. Nominate Officer by District Collector Member 3. Assistant Director Establishment Member Secretary	

SCHEDULE -III (C) (See Rule 8)

Employees of Director, State Council of Educational Research and Training and its subordinate Institutions

S. No.	Name of the Post	Mini- mum age limit	Maximum age limit	Education Qualification	Selection Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Assistant	18	30	1. Passed (10+2)	1. Director	
	Grade-III		. (35 years fo	examination from	S.C.E.R.T or	
			domicile	any recognized	member	,
	v		resident of	Board.	nominated	•
	en and and are		Chhattis-	2. Passed one year	by him	
			garh State)	Diploma/Certific	Chairperson	
	Land to the state of			ate in Data Entry	2. Principal	
				Operator/	I.A.S.E/	
	A State of the Sta	•		Programming	College of	
	.:* • **			from any	Teacher	·
	18 4 20	. ~		recognized	Education -	
	or Bayes			institute, and	Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. Should have speed of data entry 5,000 key depression per hour in Hindi Computer	 	
				Typing.	Member Secretary	

S.	Name of the	Mini-	Maximum	Education	Selection	Remark
No.	Post	mum age limit	age limit	Qualification	Committee	
(1)	(2)	(3)	· (4)	(5)	(6)	(7)
1	Artist	18	30	1. Post Graduate	1. Director	
			(35 years	degree	S.C.E.R.T or	
			for	in first division	member	
	,		domicile	from	nominated	
			resident of	reconisied	by him	
	·		Chhattis-	institution	Chairperson	
			garh State)	of fine Arts.	2. Principal	
				2. 05 Years working	I.A.S.É/	
				experience in	College of	
-	* .		•	Government /semi	Teacher	
				Government	Education -	
				Institute in related	Member	
٠				field.	3. Assistant	
				,	Director /	
					Assistant	
				,	Professor	
					Establish-	
					ment -	
					Member	
2	Assistant	18	do	1 C	Secretary	
4	Librarian	91	do	1. Graduation degree	1. Director	
	Librarian		,	and degree/	S.C.E.R.T or	
	·	,	•	diploma in Library Science.	member	
					nominated	
				2. Three years Working	by him Chairperson	
		1		experience as	2. Principal	
				Librarian in	I.A.S.E/	
				Government	College of	
				School.	Teacher	
				outoon,	Education -	
					Member	
	1.0				3. Assistant	
				,	Director /	
			•	·	Assistant	•
				i	Professor	
				·	Establish-	
					ment -	•
			· .		Member	
					Secretary	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Steno Grade-	18	do	1.Passed Higher	1. Director	
	III			Secondary	S.C.E.R.T or	
	,			Examination or	member	
				passed (10+2) or	nominated	,
				1st year	by him.	
				examination of	Chairperson	
				Graduation Course	2. Principal	
				from any	I.A.S.E/	
				recognized Board/	College of	
				University.	Teacher	
				2. From any	Education -	
				recognized	Member	
				Board/Institution	3. Assistant	•
				or Stenography	Director /	
	•			and Typing	Assistant	
				Council:-	Professor	
				Council :-	Establish-	
			·	(a)Passed Hindi	ment -	
!				Shorthand and	Member	
•	•			Hindi Typing	1.	
				in Computer	Secretary	
[[with speed of		
				100 wpm and		
1				30 wpm		
1				respectively		
		•		for Hindi		
				Stenographer.		
				(b)Passed English		
				Shorthand and		
				English		
				Typing in		
				Computer with		
				speed of 100		
				wpm and 35		
] .				wpm		
	•			respectively		
				for English		
ļ				Stenographer.		
				(c) Passed		
			1	certificate		
				course of		
				Hindi and	1	
	1			English		ļ
i			ļ	Shorthand and		
	ļ		j	Typing in		
•				computer as		
		!		specified in		
				clause (a) and		
				(b) above for		!
				bi-lingual '		
		; ;		Stenographer.		
1	1	1		3		1

				1 Land 1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				3. Should have one		
1.				year		·
		•		Diploma/Certificate		
	•	:	·	• •		
				-	*	
				Operator/		
				Programming from		
	*,			any recognized		:
				institute and should		
			•	have speed of 10,000		
				key Depression per		
			,	hour in data entry.		* *
4	Data Entry	18	do	1. Passed 12 th (10+2)	1. Director	
7	Operator	10	uo	Examination from,	S.C.E.R.T or	,
	Operator					
		1.		any recognized	member	
		-		Board/ University.	nominated	
	-		÷	Or	by him	
		1		Passed 10 th Board	Chairperson	
					2. Principal	
					I.A.S.E/	
				three years	College of	
			,	Diploma course in	Teacher	
				any subject.	Education -	
				2. Should have one	Member	
	200			year Diploma in	3. Assistant	
•				. -	i . ' i	
1				Data Entry	Director /	
		1.		Operator/	Assistant	
				Programming from	Professor	
		·		any recognized	Establish-	
				Institute and speed	ment -	
				of 8,000 key	Member	
	a party			depression per	Secretary	
				hour in computer		
				in Hindi and	•	
			•	English.		
5	Computer	18	do	Diploma in BCA /	1. Director	
3	1	10	uo		S.C.E.R.T or	
	Designer			Computer designing /	member	
				graphics experience	nominated	
		1		of two years in	ł .	
		.]		Government /semi-	by him	1
1				government or	Chairperson	
				recognized	2. Principal	
				institutions	I.A.S.E/	· .
	' -		•		College of	
			1		Teacher	
		!			Education -	· .
	ľ				Member	
					3. Assistant	
					Director /	
	1				Assistant	•
					Professor	
			1		Establish-	ļ.
					ment -	
					Member	
_		<u> </u>		\'	Secretary	
-						

- (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Steno Typist	18	do	1.Passed Higher	1. Director	
	biono Typist			Secondary	S.C.E.R.T or	
				· •	member	
1				Examination or	1	
				passed (10+2) or 1st	nominated	
3	7			year examination of	by him	
7				Graduation Course	Chairperson	
		·		from any recognized	2. Principal	
	36-X			Board/ University.	I.A.S.E/	
1.50				44. 3 Table 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	College of	
				2.Passed Computer	Teacher	
				Hindi Typing	Education -	
				examination with		
				speed of 25wpm	Member	
100				alongwith speed of 60	3. Assistant	
				wpm in Stenography	Director /	
				from any recognized	Assistant	
				Board/ Institute, and	Professor	
				Board mistitute, and	Establish-	
				3.One year Diploma/	ment -	
				Certificate in Data	Member	
			***	Entry Operator/	Secretary	•
				Programming from	Secretary	
. 1						
1				institute and should		
				have speed of 5000		+ 95°
				key depression per		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
			*	hour in data entry.		
						1 1 1
7	Technical	18	do	Passed Higher	1. Director	
	Assistant			Secondary Exam	S.C.E.R.T or	
	1100104411			(10+2 with I.T.I	Member	
				Passed	nominated	
				,		•
			•	Or	by him	
				Copa or equivalent	Chairperson	
				qualification from	2. Principal	
				any recognized	I.A.S.E/	
			**	institution.	College of	
				,	Teacher	*
	· .			·	Education -	
				, ,	Member	
	the second second				3. Assistant	
					1.	
					Director /	
 .				(Assistant	
	· •	1. 4.			Professor	
		,			Establish-	
	. :				ment -	
			1		Member-	
					Secretary	
			<u>.</u>		Secretary	
		<u> </u>				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	7	
				(4)	(5)	(6)	(7)
	8	Driver	18	do	1.Passed Higher	1. Director	
			٠.		Secondary	S.C.E.R.T or	
					Examination (10+2).	member	
			• .		2.Having Driving	nominated	
	٠.,				License for heavy	by him	1
					and Light Vehicle	T	
					Driving.	2. Principal	
					Diving.	, -	,
						I.A.S.E/	
						College of	
						Teacher	
						Education -	
. !						Member	
						3. Assistant	· ·
	4					Director /	
	•			*		Assistant	
						Professor	
						Establish-	
٠,							
				•		ment -	
						Member	
-						Secretary	

SCHEDULE – III (D) (See Rule 8)

Employees of District Institute of Educational Training Centers come under S.C.E.R.T.

S.	Name of the	Mini-	Maximum	Education	Selection	Remark
No.	Post	mum age limit	age limit	Qualification	Committee	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Assistant	18	30	1. Passed (10+2)	1. Principal	
	Grade- III		(35 years	examination from	D.I.E.T	
			for	any recognized	Chairperson	
			domicile	Board.	2. Nominate	1
			resident	2. Passed one year	Member by	
			of	Diploma/Certificate	District	
			Chhattis-	in Data Entry	Collector -	
			garh	Operator/	Member	•
			State)	Programming from	3. Assistant	
				any recognized	Director /	
		'چوکر <i>ہ</i>		institute, and	Assistant	
	1.	S. C.		3. Should have speed	Professor	
				of data entry 5,000	Establish-	:
		·		key depression per	ment -	
				hour in Hindi	Member	
1				Computer Typing.	Secretary	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	English Typist	18	do	1. Passed Higher	1. Principal	ļ ,
				Secondary Exam	D.I.E.T	
				(10+2) from any	Chairperson	
				recognized board or	2. Nominate	
				institution.	member by	
				2. One year degree/	District	
:	1 × 2 M	*		diploma in data	Collector –	
			, ,	entry operator	member	
,				/programming from	3. Assistant	
				any recognized	Director /	
				institution Or	Assistant	,
				3. In computer English	Professor	
		÷		typing speed should	Establish-	,
				be 5,000 (key)	ment -	
		* * * .		depression per hour	Member –	
					Secretary	

S.	Name of the	Mini-	Maximum	Education	Selection	Remark
No.	Post	mum age	age limit	Qualification	Committee	*
		limit				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Statistician	18	30	1. Post graduate .	1. Director	
			(35 years	degree in	S.C.E.R.T or	
			for	Economics/	member	
			domicile	Commerce/Maths/	nominated	
			resident of	Psychology	by him	
			Chhattis-	including statistics	Chairperson	
			garh State)	as one of the	2. Principal	
				paper.	I.A.S.E/	
				Or	College of	
				2. Post graduate	Teacher	
				degree in	Education -	
				Statistics.	Member	
,					3. Assistant	
			-		Director /	
					Assistant	
					Professor	
					Establish-	,
4			•		ment -	·
				•	Member	
			10		Secretary	1
2	Assistant	18	do	Degree in Computer	1. Director	
T .	Programmer			science or informa-	S.C.E.R.T or	
				tion technology and	member	
				experience of one	nominated by	
				year in computer	him	
			'	science.	Chairperson	
				Or	1	
·	J	<u> </u>	<u></u>		<u> </u>	

		·	T			
. (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	,			Second division in	2. Principal	
			•	graduation with	I.A.S.Ê/	
				Mathematics/ Physics	College of	,
				/ Statistics along with	Teacher	
				PGDCA and	Education -	,
				experience of one	Member	
				year in Computer	3. Assistant	
				Science	Director /	
				GUICHU	ľ	
					Assistant	
	, •				Professor	
.	•				Establish-	
				·	ment -	
	٠,				Member	
	TTJT 1		 		Secretary	
3	Head Librarian	18	do,	1. Graduation and	1. Director	
				degree/ diploma in	S.C.E.R.T or	
		. ,		Library Science.	member	
	,		1	2. Three years	nominated	
				experience of	by him	•
			,	Librarian in	Chairperson	
		,		Government School.	2. Principal	
			11.		I.A.S.È/	
1.			•	[College of	
					Teacher	•
					Education -	,
		'			Member	
,	•				3. Assistant	
					Director /	
		•	:		Assistant	
	,				Professor	
				•	Establish-	
					•	•
					ment -	٠.
		ļ.·		·	Member	
- 4	Assistant	18	do	1. Graduation and	Secretary	
-	Librarian	. 10	uo		1. Director	
	Liviai lali			degree/ diploma in	S.C.E.R.T or	٠
				Library Science.	member	
				O TI-	nominated	• .
		** , *		2. Three years	by him	
		· ·		working	Chairperson	
				experience of	2. Principal	,
•				Librarian as	I.A.S.E/	·
				Government	College of	
				School.	Teacher	
			_		Education -	
					Member	•
. 1				,	3. Assistant	,
•					Director /	
					Assistant	
ŀ		·			Professor	
					Establish-	
			.		ment -	
. 1		, ,			Member	
		•	- .			
					Secretary	•

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Steno Grade -	18	do	Passed Higher	1. Director	
3	III	ig		Secondary	S.C.E.R.T or	
	111			Examination or	member	
	,	·		passed (10+2) or	nominated	
				1st year	by him	
				examination of	Chairperson	
				Graduation	2. Principal	
				Course from any	I,A.S.E/	14.14
	W			recognized	College of	
				Board/	Teacher	
					Education -	
				University.	Member	
				2. From any	3. Assistant	
				recognized	Director /	
				Board/Institution	Assistant	
				or Stenography		
				and Typing	Professor	
1				Council:-	Establish-	
				(a)Passed Hindi	ment -	
				Shorthand and	Member	
				Hindi Typing in	Secretary	
1.	1			Computer with		
				speed of 100 wpm		
				and 30 wpm		
				respectively for		
				Hindi		
			l distribution	Stenographer.		
				(b)Passed English		
				Shorthand and		
* 1,0			-	English Typing in		
			·	Computer with		
				speed of 100 wpm		
				and 35 wpm		
				respectively for		
				English		
				Stenographer.		
· .		,,		(c)Passed certificate course of Hindi		
	4 "			and English		
	1.			Shorthand and		
				Typing (in	, ,	
				computer as		
].				specified in clause		
		. -		(a) and (b) above		
				for bi-lingual		
				Stenographer.		
				3. Should have one		
			·	year Diploma/		
[, .				Certificate in Data		
	•					
				Entry Operator/		
	<i>j</i>			Programming		
L	1		-1		The second secon	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				from any recognized institute and should have speed of 10,000 key Depression per hour in data entry.		
6	Data Entry Operator	18	do	1. Passed 12 th (10+2) Examination from any recognized Board/ University. Or Passed 10 th Board Examination and three years Diploma course in any subject. 2. Should have one year Diploma in Data Entry Operator/ Programming from any recognized Institute and speed of 8,000 key depression per hour in computer in Hindi and English.	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Teacher Education - Member 3. Assistant Director / Assistant Professor Establish- ment - Member Secretary	

Note- The upper age limit shall be relaxed for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE – IV (A) (See Rules 13,14,15,16 and 17)

Directorate of Public Instruction

S.	Name of the Post	Name of the	Experience	Member of Departmental	Remarks
No.	from which	post in which	for the post	Promotion Committee	•
140.	promotion is to be	promotion is to	701 JIIO P 330		
	made	be made			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$\frac{(1)}{\sqrt{1}}$	Assistant	Suprintendent	05 Years	Director Public	-
. `*	Suprintendent	Suprimendent		Instruction or member	
· \	Suprintendent			nominated by him	•
,		,		Chairperson	
				2. Deputy Director	
				Public Instruction	
٠.	and the second			Member	
				3. Assistant Director	•
				Establishment -	
				Member Secretary	
					**
· · · · · · ·					
2	Assistant Grade- I	Assistant	05 Years	1. Director Public	· · · · · · · · · ·
	Assistant Grade 1	Suprintendent	os reas	Instruction or member	
		Dupiniona		nominated by him	
				Chairperson	••
				2. Deputy Director	
				Public Instruction	, ,
				Member	
•				3. Assistant Director	
·	. *			Establishment -	
	**			Member Secretary	
3	Assistant Grade- Il	Assistant	05 Years	1. Director Public	-
	A ROSIGIANT GRACE AS	Grade- I		Instruction or member	
			}	nominated by him	
	•			Chairperson	
				2. Deputy Director	
			,	Public Instruction	
				Member	
		/		3. Assistant Director	
		ì	/	Establishment -	
				Member Secretary	
					·
4	Accountant/ Junior	Senior Account	05 Years	1. Director Public	Senior
•	Auditor	Auditor		Instruction or member	Account
		,		nominated by him	Auditor
				Chairperson	Accountant
: !				2. Deputy Director	Examination
				Public Instruction	should be
				Member	passed.
					Passea.
	1 .	1	1	I	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3. Assistant Director Establishment - Member Secretary	
5	Assistant Grade- III	Assistant Grade II, Accountant and Junior Account Examiner	05 Years	Director Public Instruction or member nominated by him Chairperson Deputy Director Public Instruction Member Assistant Director Establishment - Member Secretary	For Promotion in Accountant, Junior Account Auditor and Senior Account Auditor Account Examination should be passed.
6	Grade- IV employees (Permanent Peon)	Assistant Grade- III	05 Years	Director Public Instruction or member nominated by him Chairperson Deputy Director Public Instruction Member Assistant Director Establishment - Member Secretary	Permanent peons will be promoted in 25% sanctioned post of Assistant Grade-III.

S.	Name of the Post	Name of the	Experience '	Member of Departmental	Remarks .
No.	from which	post in which	for the post	Promotion Committee	,
	promotion is to	promotion is to			
	be made	be madé			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Steno Grade- II	Steno Grade - I	05 Years	1. Director Public	-
	.* .			Instruction or member	
	·			nominated by him.	
				Chairperson	
İ				2. Deputy Director Public	
				InstructionMember	
			,	3. Assistant Director	
1			,	Establishment - Member	
L				Secretary	
2	Librarian	Librarian	05 Years	1. Director Public	_
1	Low Pay Scale	High Pay Scale	_	Instruction or member	
				nominated by him	
<u> </u>				Chairperson	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. Deputy Director Public InstructionMember	
				3. Assistant Director	
	·			Establishment - Member	
	•	•		. Secretary	
3	Steno Grade- III	Steno	05 Years	1. Director Public	
		Grade - II		Instruction or member	-
				nominated by him Chairperson	
				2. Deputy Director Public	,
				InstructionMember	
			*	3. Assistant Director	
				Establishment - Member	
				Secretary	
4	Steno Typist	Steno	05 Years	1. Director Public	Passed Hindi
		Grade III		Instruction or member	short hand/
				nominated by him	typing
				Chairperson	Examination
				2. Deputy Director Public	from any
		***	. ,	InstructionMember	recognized
				3. Assistant Director	board or
			. •	Establishment - Member	institution .
			``	Secretary	

SCHEDULE – IV (B) (See Rules 13,14,15,16 and 17)

Employees of District Education Offices who are under Directorate of Public Instruction Chhattisgarh

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post in which promotion is to be made	Ex- perience for the post	Member of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Assistant Grade- I	Head Clerk	05 Years	1. District Education	-
				Officer	
				Chairperson	
				2. Deputy Director Public	
				Instruction - Member	
				3. Assistant Director	
				Establishment- Member	
				Secretary	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Assistant	Assistant	05 Years	1. District Education	(0)
	Grade- II	Grade I	UJ I Cais	Officer	-
	Grade II	Grade 1		Chairperson	
				2. Deputy Director Public	
				Instruction - Member	•
				3. Assistant Director	
		į		Establishment- Member	
				• 1	
		* *		Secretary	
3	Accountant/	Senior	05 Years	District Education	Accountant
3	Junior Account	Account	US Teats	Officer	Examination
	Auditor	Auditor	-	Chairperson	should be
	Auditor	Auditoi		2 Deputy Director Public	
				Instruction - Member	passed
		·	* •	3Assistant Director	
V .				Establishment- Member	•
				Secretary	
4	Assistant Grade -	Assistant	05 Years	District Education	For
•	III	Grade - II.	UJ TCais	Officer	Promotion in
	111	Accountant		Chairperson	Accountant,
		and Junior		2. Deputy Director Public	Junior
		Account	•	Instruction - Member	Account
		Auditor		3. Assistant Director	Auditor and
		11441101		Establishment- Member	Senior
				Secretary	Account
1					Auditor
					Accountant
					Examination
					should be
1					passed.
-5	Grade -IV	Assistant	05 Years	1. District Education	Permanent
	employees	Grade -III		Officer	peons will be
-	(Permanent Peon)			Chairperson	promoted in
				2. Deputy Director Public	25%
-				Instruction - Member	sanctioned /
				3. Assistant Director	post of
		1		Establishment-Member	Assistant
1				Secretary	Grade-III.

S.	Name of the Post	Name of the	Experience	Member of	Remarks
No.	from which	post in which	for the post	Departmental	
	promotion is to	promotion is to		Promotion Committee	٠
	be made	be made			•
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Steno Grade- II	Steno	05 Years	1. Director Public	-
		Grade- I		Instruction or	•
				member nominated	
L				by himChairperson	

(1)	(2)	(3) .	.(4)	(5)	(6)
. (-)				2. Deputy Director	
		·		Public Instruction	
				Member	
		_		3. Assistant Director	
				Establishment -	
		•		Member Secretary	
2	Investigator	Assistant	05 Years	1. Director Public	_
		Statistical		Instruction or	
		Officer		member nominated	
1	•			by himChairperson	
				2. Deputy Director '	•
-				Public Instruction	
		,		Member	
}				3. Assistant Director	
		•		Establishment -	•
				Member Secretary	
3	Junior P.T.I.	Senior P.T.I.	05 Years	1. District Education	
	Low Pay Scale	High Pay Scale		Officer	
				Chairperson	•
	•		İ.	2. Deputy Director	
				Public Instruction. —	
1				Member	
		1		3. Assistant Director	
				Establishment-	
				Member Secretary	
4	Librarian	Librarian	05 Years	1. Director Public	
	Low Pay Scale	High Pay Scale		Instruction or	
				member nominated	•
1				by himChairperson	
:				2. Deputy Director	
				Public Instruction	
				Member .	
				3. Assistant Director	
				Establishment -	
				Member Secretary	
5	Steno Grade- III	Steno	05 Years	1. Director Public	_
		Grade- II		Instruction or	;
				member nominated	
				by himChairperson	
				2. Deputy Director	
-				Public Instruction	
				Member	
				3. Assistant Director	
İ				Establishment -	
1	,]	Member Secretary	l <u></u>

SCHEDULE – IV (C) (See Rules 13, 14, 15, 16 and 17)

Employees of Director, State Council of Educational Research and Training and its subordinate Institutions

S.	Name of the	Name of the	Typorionas	Member of	Remarks
No.	Post from	post in which	Experience for the post	Departmental	Remarks
140.	which	promotion is to	Tor the post	Promotion Committee	•
	promotion is to	be made		Tromotion committee,	• .
	be made	be made			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Head Clerk	Assistant	05 Years	1. Director S.C.E.R.T	-
		Suprintendent		or member	
		1		nominated by him	
				Chairperson	
				2. Principal I.A.S.E/	•
				College of	·
				Education - Member	ľ
		•		3. Assistant Director /	
	-			Assistant Professor	
'				Establishment -	,
	-	•	•	Member Secretary	
		·			
2 .	Assistant	Head Clerk	05 Years	1. Director S.C.E.R.T	-
	Grade -II /			or member	
	Accountant		_	nominated by him	·
				Chairperson	
· .		• -		2. Principal I.A.S.E/	
			-	College of	,
				Education - Member	·
		,		3. Assistant Director /	
				Assistant Professor	
				Establishment -	
				Member Secretary	
3	Assistant	Assistant	05 Years	1. Director S.C.E.R.T	For Promotion
	Grade- III	Grade- II/	· .	or member	in Accountant,
		Accountant		nominated by him	Junior Account
				Chairperson	Examiner and
				2. Principal I.A.S.E/	Senior Account
				College of	Examiner,
				Education - Member	Accountant
1.				3. Assistant Director /	Examination
				Assistant Professor	should be
				Establishment -	passed.
1	C 1. 137	A	05.7/	Member Secretary	11.0.0.0
4	Grade- IV	Assistant	05 Years	1. Director S.C.E.R.T	H.S.S Passed
	employees	Grade III		or member	
	(Permanent			nominated by him	
	Peon)			Chairperson	
	<u> </u>				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. Principal I.A.S.E/	
	·	,		College of	
				Education - Member	
				3. Assistant Director /	
-				Assistant Professor	
				Establishment -	
<u> </u>		-		Member Secretary	

S. No.	Name of the Post from	Name of the post in	Experience for the post	Member of Departmental Promotion Committee	Remarks
	which	which			
	promotion is	promotion	:		
	to be made	is to be	:		
		made			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Librarian	Librarian	05 Years	1. Director S.C.E.R.T or	
	Low Pay	High Pay		member nominated by	
	Scale	Scale		himChairperson	
			• •	2. Principal I.A.S.E/	
				College of Education -	
			•	Member	
				3. Assistant Director /	
			·	Assistant Professor	
				Establishment - Member	
				Secretary	

SCHEDULE – IV (D) (See Rules 13, 14, 15, 16 and 17)

Employees of District Institute of Educational Training Centers which come under S.C.E.R.T.

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post in which promotion is to be made	Experience for the post	Member of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Assistant Grade - I	Superintendent	05 Years	1. Director S.C.E.R.T or member nominated by him Chairperson 2. Principal I.A.S.E/ College of Education - Member	-

(1)	(0)	T (0)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3. Assistant Director /	
				Assistant Professor	
		·		Establishment -	
			:	Member Secretary	
2	Assistant	Assistant	05 Years	1. Director S.C.E.R.T	_
	Grade- II	Grade- I		or member	_
	/Accountant			nominated by him	
				Chairperson	
				2. Principal I.A.S.E/	
•	·			College of Education	•
]				-Member	
	·			3. Assistant Director /	
	-		1.	Assistant Professor	
				Establishment -	
' •			ĺ	Member Secretary	
3	Assistant	Assistant	05 Years	1. Principal D.I.E.T	For Promotion in
	Grade- III	Grade - II/		Chairperson	Accountant,
		Accountant		2. Nominate member	Junior Account
				by District Collector	Examiner and
		<u> </u>		Member	Senior Account
,				3. Assistant Director /	Examiner,
				Assistant Professor	Accountant
				Establishment -	Examination
				Member Secretary	should be passed.
	Cando IV		05.77	•	
4	Grade- IV	Assistant	05 Years	1. Principal D.I.E.T	
·	employees (Parmanent	Grade -III		Chairperson	
	(Permanent			2. Nominate member	
	Peon)			by District Collector	
				- Member	
	·			3. Assistant Director /	
		•	·	Assistant Professor	
	- 1			Establishment -	
				Member Secretary	
<u> </u>					

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be done	Name of the post in which promotion is to be done	Experience for the post	Member of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Assistant Librarian	Librarian	05 Years	Director S.C.E.R.T or member nominated by him Chairperson	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			•	 Principal I.A.S.E/ College of Education -Member Assistant Director / Assistant Professor Establishment - Member Secretary 	

Note- The Cadre of Directorate Public Instruction, State Council of Educational Research and Training and district are Separate."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रीता शाण्डिल्य, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 जून 2013

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2004) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

े छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2004) के नियम-3 के परिशिष्ट-1 में प्रविष्टि 131 के पश्चात् निम्नांकित नई सामग्री सम्मिलित करता है :--

अनुक्रमांक 132 व्हाईट/ब्लैक बोर्ड

अनुक्रमांक १३३-इलेक्ट्रिक वेइंग स्केल फॉर चाईल्ड

अनुक्रमांक 134 मेकेनिकल एडल्ट वेइंग स्केल (प्लेटफार्म)

अनुक्रमांक 135-मेकेनिकल बेबी वेइंग स्केल (हेंगिंग)

अनुक्रमांक 136-मेकीनकल चाईल्ड वेइंग स्केल (हेंगिंग)

अनुक्रमांक 137-प्री-स्कूल किट (कुल 27 सामग्रियां) :--

(1) (2) (3) (4) 137.1 काउंटिंग फ्रेम क्लिस (1) (4) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	
137.1 काउंटिंग फ्रेम <u>ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਹੈ ਹੈ ਹੈ</u> 137.2 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤ ਦੁਵੇਗ ਹੈ।	
137.3 केयान कलस ^{िक कि} कियान कलस ^{िक कि} कियान कलस ^{िक कि} कियान कलस ^{िक कि} कियान कलस्	
	, ·
137.5 बिल्डिंग मेकर्स 137.6 फिसलपट्टी 🙀 🙀	· •
137.7 रॉकर 137.8, साईकिल तीन पहिया	- 4-
137.9 प्लास्टिक बेंट बॉल क्रिक्ट का 137.10 का सिंग का का का का कि	1.
ा३७.11 कूदने की रस्सी किंगा 137.12 जानवरों के मुखौटे किंगा	
137.13 गुड़िया अ स्त में अक्षानिकार । 137.14 पहिए वाली कार/रेलगाड़ी/हवाई जहाज	
137.15 टेनिस बॉल 🤲 🥬 😘 137.16 बालिंग सेट	
137.17 डॉक्टर सेंट 137.18 फुटबाल	
137.19 झूला लकड़ी का 137.20 पजल सेट 03-04	

(1)	(2)	(3)	(4)
137.21	लट्टू	137.22	जंपिंग मंकी
137.23	हैड पपेट	137.24	फलौइंग डिस्क
137.25	बालिंग सेट	137.26	फ्लैश कार्ड
137.27	सीटी	137.28	किचन सेट
137.29	ड्राइंग बुक	137.30	हूला-हूप (कमर पर घुमाने वाला रिंग)
137.31	सिलेण्डर बाक्स (लकड़ी का)	137.32	बेसिक शेप बॉक्स
137.33	बच्चों के क्रियात्मक विकास हेतु शैक्षणिक सामग्री.	137.34	पिक्टोरियल चार्ट (5×5)
137.35	प्लास्टिक की डेकोरेटिव चटाई (6×6)	137.36	पी.वी.सी./प्लास्टिक की बड़ी फिसलपट्टी
137.37	प्लास्टिक के बड़े/छोटे सी–सॉ	,5,.50	गानारवार साम्द्रका क्षेत्र बड़ा किसलपट्टा

यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक एफ 7-35/2012/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 10-10-12 द्वारा विकास योजना दुर्ग-भिलाई भाग-2 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

विकास योजना दुर्ग-भिलाई भाग-2 की स्वीकार्य उपयोग की सारणी क्रमांक-14-सा-5 में संशोधन प्रस्ताव

क्र.	सारणी का क्रमांक	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारणी के कालम-14-सा-5 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियां जोड़ा
. (1)	(2)	(3)	जाकर उपांतरण किया जाए (4)
1.	14-सा-5	कृषि	निम्न घनत्व आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक

- 2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण अधोसंरचना के प्रयोजन के लिए है.
- 3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयाविध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्ः नहीं हुआ है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

^{4.} अत: राज्य शासन एतद्द्वारा दुर्ग-भिलाई भाग-2 विकास योजना में उपराक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण दुर्ग भिलाई भाग-2 विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2013

क्रमांक एफ 1-11/2013/स्था/चार ः भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लातें हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

नियम

- 1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 कहलायेंगे।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-
 - (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
 - (ख) "समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची—चार में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नित हेतु गठित चयन समिति:
 - (ग) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
 - (घ) ''संचालक / आयुक्त" से अभिप्रेत है संचालक / आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ;
 - (ङ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;
 - (च) 'वित्त सचिव' से अभिप्रेत है सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ शासन;
 - (छ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
 - (ज) ''राज्यपाल' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
 - (झ) "सेवा के सदस्य" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन या इनके प्रारंभ होने के पूर्व बनाये गये नियम या जारी आदेश के अनुसार सेवा संवर्ग में किसी पद पर मूल रूप से नियुक्त व्यक्ति;
 - (ञ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर यथा संशोधित अधिसूचना कमांक एफ—8—5, पच्चीस—4—84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
 - (ट) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
 - (ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
 - (ड) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
 - (ढ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित);
 - (ण) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य ।

ROW OF LONG BUILDING BU

- 3. विस्तार तथा लागू होना.— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961, में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
- 4. सेवा का गठन.- (क) सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-
 - (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों;
 - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और
 - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।
 - (ख) सेवा का प्रारंभिक गठन सेवा का प्रारंभिक गठन निम्नानुसार किया जायेगा:-
 - (1) राज्य वित्त सेवा के वे अधिकारी जिनका चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया हो तथा जो राज्य शासन के विभिन्न विभागों में सेवारत हों।
 - (2) शेष (बची हुई) ऐसी रिक्तियां, जिन्हें शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा से पदोन्नित द्वारा भरी गई हों। प्रत्येक तरीके से इस प्रकार भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या शासन द्वारा अवधारित की जायेगी।
- 5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सिम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगाः

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

- 6. भर्ती का तरीका.— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नितिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—
 - (क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से या मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा:
 - (ख) छस्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
 - (2) उप-नियम (1) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
 - (3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालाविध के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा, आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।
 - (4) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग के परामर्श के पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करें।

- (5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश (यथासंशोधित) भी लागू होंगे।
- 7. सेवा में नियुक्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
- 8. सीधी मर्ती के लिए पांत्रता की शर्ते सीधी भर्ती / चयन के लिए पांत्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात्:—
 - (एक) आयु— (क) विज्ञापन के जारी होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची—तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;
 - (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित हों तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
 - (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
 - (घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शतों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:—
 - (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;
 - (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किरी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकरिमकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुक्लेय होगी;
 - (तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा,

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालाविध तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :--

- (एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समयपूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;
- (दो) ऐसे भूतपूर्व रौनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—
 - (क) अल्पकालीन वचनबंध अविध पूर्ण हो जाने पर;
 - (ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।
- (तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);
- (चार) अवकाश रिक्तियों पर 6 (छ) माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी;
- (पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

5.4 人 域 幽外人 歌作作 轻视精神

- (छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है:
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (च) परिवार कल्याण कार्यकम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथलनीय होगी:
- (ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;
- (ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
 - टीप—(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्याग—पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा अथवा पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो बे पात्र वमें शहेंगे।
 - (2) किसी भी अन्य मामले में आयु भीमा शिधिल नहीं की जाएगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।
- (ट) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश में लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;
- (ड) डपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (दो) पीक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव.— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होना चाहिए जैसा कि अनुसूची—तीन में दर्शित है।

- (तीन) (क) फीस.— अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।
 - (ख) स्वास्थ्य परीक्षा फीस.— उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी फीस देनी होगी, जो कि शासन द्वारा समय—समय पर विहित किया जाये।
- 9. निरर्हता.— अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।
 - (1) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

- (3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
- (4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालयय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

- (5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरहित नहीं होगा।

- 10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.— (1) चयन हेतु प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
 - (2) चयन प्रक्रिया के समय अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निर्रिहित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति आयोग द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा।
- 11. चयन / प्रतियोगिता परीक्षा / साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय—समय पर, अवधारित करे।
 - (2) प्रतियोगिता परीक्षा, आयोग के परामर्श से शासन द्वारा समय—समय पर जारी पाठ्यकम, परीक्षा योजना एवं निर्देश के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी।
 - (3) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।
 - (4) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इसके अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
 - (5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा।
 - (6) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त / भूतपूर्व सैनिक के लिये पद, शासन द्वारा समय—समय पर जारी अधिनियम / नियम / आदेश / निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।
 - (7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-फ्रीभि-लेयर) के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
 - (8) उपरोक्त के अतिरिक्त, उन अभ्यर्थियों की, जो महिला / नि:शक्त / भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जो आरक्षण के परिणामस्वरूप चयनित किये गये हैं, नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

- (9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गी (गैर-क्रीमि-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, उप-नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गी (गैर-क्रीमि-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (10) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमि-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमि-लेयर) के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।
- 31 आयोग द्वारा चयनित किये गये अभ्यर्थियों की सूची.— (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर—क्रिमी—लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो तथा महिला, निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक के प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थी, जो आरक्षण के फलरूवरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, उनकी (ऐसे अभ्यर्थियों की) मेरिट क्रम में सूची, तैयार करेगा, जिसकी वैधता, नियुक्ति के लिए शासन को सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।
 - (2) उप—नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।
 - (3) आयोग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रत्येक प्रवर्ग के लिए एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों की अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी किये, जाने की तारीख से डेढ़ वर्ष होगी।

स्पष्टीकरण— प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आंकलन के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, पाइंट को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।

- (5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सिम्मिलित हो, वैधता अविध में उपस्थिति दर्ज न कराने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अविध के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।
- (8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।
- (9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, शासन को उसका युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।
- (10) चयन सूची की वैधता अविध में 6 माह की वृद्धि होने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अविध में 6 माह की स्वतः वृद्धि हो जाना माना जायेगा।
- (11) उप—िनयम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी, जब तक कि शासन ने वृद्धि हेतु युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश न किया हो।
- 13. परिवीक्षा.— (1) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
 - (2) यदि कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
 - (3) परिवीक्षा की कालाविध या बढ़ाई गई कालाविध के दौरान या परिवीक्षा कालाविध के अंत में, यि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- 14. पदोन्नित द्वारा नियुक्ति.— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नित के लिए प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची—चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे :

परन्तु, इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

- (2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो।
- (3) प्रत्येक पदोन्नित, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार तथा। मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।
- (4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नित करने हेतु प्रकिया, उप-नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन— नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नित आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।
- 15. पदोन्नित के लिये पात्रता संबंधी शर्ते.— (1) उप—िनयम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, सिनित उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नित की जानी है, जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप—िनयम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।
 - स्पष्टीकरण— पदोन्नित के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नित समिति,/ छानबीन समिति आहुत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अईकारी सेवा की कालाविध की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर सवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।
 - (2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नित, विष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर की जानी हो अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर विष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी संवर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर विष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पद तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति / पदोन्नित के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।
 - (दों) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नित योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो वहां विचारण के लिए क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से

चार अधिक होगा । यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नित के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण का क्षेत्र में कुल रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी । समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नित के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी ।

- (3) उप—नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त, उपरोक्त अविध के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।
- (4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नित की जायेगी।
- (5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी आदेश पदोन्नति के लिये लागू होंगे।
- 16. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.— (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नित के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालाविध के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नित के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अविध के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।
 - (2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।
 - (3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।
 - (4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित ।कया जाये कि सेवा के किसी सदस्य कः अवक्रमण किया जाना है, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगीं।
- 17. आयोग से परामर्श.— (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:—
 - (एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

- (दो) अनुसूची—चार के कॉलम (4) में उल्लिखित ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख, जिनका सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण प्रस्तावित है।
- (तीन) अनुसूची—चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी व्यक्ति के प्रस्तावित अवक्रमण के लिये समिति के लेखबद्ध कारण।
- (चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।
- (2) यदि पदोन्नित समिति में, आयोग के अव्या अथवा कोई सदस्य, जिसे अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहें हो तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप—िनयम (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप—खंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।
- 18. चयन सूची.— (1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ—साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, तो सूची को अनुमोदित करेगा।
 - (2) यदि आयोग, सूची में कोई परिर्वतन करना आवश्यक समझे, तो आयोग, अपनी राय, यदि कोई हो, से शासन को सूचित करेगा, किन्तु एक बार उस पर विचार करते हुए, आयोग सूची को आवश्यक संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसे न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त प्रतीत हो, अनुमोदित करेगा।
 - (3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची—चार के कॉलम (4) में उल्लिखित पदों से, अनुसूची—चार के कॉलम (5) में यथा उल्लिखित पदों पर, सिविल सेवा के सदस्यों की पदोन्नित के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।
 - (4) चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी ।
- 19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.— (1) चयन सूची में सिम्मिलित अधिकारियों की सेवा—संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुसरण किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।
 - (2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

- 20. परिवीक्षा.— सेवा में सीधे अथवा पदोन्नित द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालाविध के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
- 21. (क) सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिये पात्रता की शर्ते— सेवा के किनष्ठ वेतनमान में सेवारत / कार्यरत केवल ऐसे अधिकारी, वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र होंगे, अर्थात्—
 - (1) जिन्होंने चयन किये जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को, सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।
 - (2) सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को, सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्त किये जाने हेतु अनुसूची—चार के कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा विचार किया जाएगा।
 - (3) चयन "वरिष्ठता सह योग्यता" के आधार पर किया जायेगा ।
 - (4) उपरोक्तानुसार चयन सूची, सामान्यतः आगामी एक वर्ष की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में, उसमें से नियुक्तियां की जायेंगी ।
 - (5) उपरोक्त उप—िनयम (4) के अध्यधीन रहते हुए शासन द्वारा अनुमोदित चयन सूची, ऐसे अनुमोदन की तारीख से उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी:

परन्तु शासन चयन सूची को साधारणतः या जहां कि उसका संबंध किसी विशिष्ट अधिकारी या अधिकारियों से हो, उक्त समयाविध की समाप्ति के पूर्व भी पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित कर सकेगा।

- (ख) सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्ते —(1) सेवा के केवल ऐसे अधिकारी, प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने चयन किये जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को, सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।
 - (2) सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को, सेवा की प्रवर श्रेणी में नियुक्त किए जाने हेतु अनुसूची—चार के कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा विचार किया जायेगा ।
 - (3) चयन ''वरिष्ठता सह योग्यता' के आधार पर किया जायेगा ।
 - (4) उपरोक्तानुसार चयन सूची, सामान्यतः आगामी एक वर्ष की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान में, उसमें से नियुक्तियां की जायेंगी ।

(5) उपरोक्त उप-नियम (4) के अध्यधीन रहते हुए शासन द्वारा अनुमोदित चयन सूची, ऐसे अनुमोदन की तारीख से उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी:

परन्तु शासन चयन सूची को साधारणतः या जहां तक कि उसका संबंध किसी विशिष्ट अधिकारी या अधिकारियों से हो, उक्त समयाविध की समाप्ति के पूर्व भी पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित कर सकेगा ।

- (गं) सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्ते (1) सेवा के केवल ऐसे अधिकारी, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने चयन किये जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को, सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान में 5 वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो ।
 - (2) सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को, सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्त किए जाने हेतु अनुसूची—चार कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा विचार किया जाएगा।
 - (3) चयन "वरिष्ठता सह योग्यता" के आधार पर किया जायेगा ।
 - (4) उपरोक्तानुसार चयन सूची, सामान्यतः आगामी एक वर्ष की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में, उसमें से नियुक्तियां की जायेंगी ।
 - (5) उपरोक्त उप—िनयम (4) के अध्यधीन रहते हुए शासन द्वारा अनुमोदित चयन सूची, ऐसे अनुमोदन की तारीख से उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी:

परन्तु शासन चयन सूची को साधारणतः या जहां तक कि उसका संबंध किसी विशिष्ट अधिकारी या अधिकारियों से हो, उक्त समयाविध की समाप्ति के पूर्व भी पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित कर सकेगा।

- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा के अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति के लिए पात्रता की शतें (1) छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा के केवल ऐसे अधिकारी, अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने चयन किये जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा में 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत हो ।
 - (2) सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को, सेवा के अधिसमय वेतनमान में नियुक्त किए जाने हेतुं अनुसूची—चार के कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
 - (3) चयन "वरिष्ठता सह योग्यता" के आधार पर किया जायेगा ।

- (4) उपरोक्तानुसार चयन सूची, सामान्यतः आगामी एक वर्ष की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् सेवा के अधिसमय वेतनमान में, उसमें से नियुक्तियां की जायेंगी।
- (5) उपरोक्त उप—नियम (4) के अध्यधीन रहते हुए शासन द्वारा अनुमोदित चयन सूची, ऐसे अनुमोदन की तारीख से उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी:

परन्तु शासन चयन सूची को साधारणतः या जहां तक कि उसका संबंध किसी विशिष्ट अधिकारी या अधिकारियों से हो, उक्त समयावधि की समाप्ति के पूर्व भी पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित कर सकेगा ।

- 22. निर्वचन यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
- 23. शिथिलीकरण.— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

24. निरसन एवं व्यावृत्ति.— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्रथानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वार् समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार सी. ज़े. खत्री, संयुक्त सचिव.

अनुसूची—एक (नियम 5 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद के संवर्गों का विवरण एवं उनका वेतनमान	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	कनिष्ठ वेतनमान 15600—39100 ग्रेड वेतन 5400	143	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	53%
		वरिष्ठ वेतनमान 15600—39100 ग्रेड वेतन 6600	68	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	25%
		प्रवर श्रेणी वेतनमान 15600—39100 ग्रेड वेतन 7600	40	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	15%
		वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान 37400—67000 ग्रेड वेतन 8700	14	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	05%
		अधिसमय वेतनमान 37400—67000 ग्रेड वेतन 8900	05	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	02%

अनुसूची—दो (नियम 6 देखिये)

मर्ती का तरीका

				• •	
विभाग	सेवा का	पद की	भरे जाने वाले	पदों की संख्या	टीप
का नाम	नाम	कुल	का प्र	प्रतिशत	·
	•	संख्या	सीधी भर्ती	पदोन्नति द्वारा	
	·		द्वारा नियम	नियम	
		·	6 (1) (क)	6 (1) (ख)	·
	• •	i	देखिये	देखिये	
(1)	(2)	(3)	. (4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	270	50 %	50%	किनष्ट वेतनमान में सीधी भर्ती एवं पदोन्नित तथा वरिष्ठ वेतनमान/ प्रवर श्रेणी वेतनमान/वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान/अधिसमय वेतनमान में कमोन्नित हेतु पदों की गणना, संवर्ग के पदों की कुल संख्या के आधार पर की जायेगी।

अनुसूची—तीन' (नियम 8 देखिये)

विभाग	सेवा का	पद का नाम जिससे	न्यूनतम	अधिकतम	विहित	टिप्पणियां
का नाम	, नाम	नियुक्ति की जानी है	आयुं सीमा	आयु सीमा	शैक्षणिक	
					अर्हता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वित्त	छत्तीसगढ	कनिष्ठ वेतनमान कोषालय	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी	
विभाग	राज्य	अधिकारी / लेखा			मान्यता प्राप्त	
	वित्त सेवा	अधिकारी / सहायक			विश्वविद्यालय	
		संचालक/आंतरिक लेखा			से उपाधि	
	,	परीक्षा अधिकारी / प्राचार्य				
		लेखा प्रशिक्षण शाला				

टीप- ऐसे अभ्यर्थियों, जो छत्तीसगढ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी हैं, के लिए, उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची—चार (नियम 14 एवं 15 देखिये)

·		·			,	
स.	विभाग	सेवा का	पद का नाम	पद का नाम जिस	पदोन्नति /	विभागीय पदोन्नति
क.	का	नाम	जिससे	पर पदोन्नति /	नियुक्ति हेतु	समिति के सदस्यों के
	नाम		पदोन्नति / नियुक्ति	नियुक्ति की जानी	पात्र होने के	नाम
			की जानी है	है	लिए अनुभव	·
					की न्यूनतम	,
	. :			,	अवधि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	वित्त	छत्तीसगढ	सहायक कोषालय	छत्तीसगढ़ राज्य	05 वर्ष	1 छत्तीसगढ़ लोक
	विभाग	अधीनस्थ	अधिकारी / सहायक	वित्त सेवा, कनिष्ठ	• •	सेवा आयोग का
		लेखा रोवा	आंतरिक लेखा	वेतनमान कोषालय		अध्यक्ष या अध्यक्ष
			परीक्षा अधिकारी/	अधिकारी / लेखा		द्वारा अनुशंसित
			उप कोषालय	अधिकारी / सहायक		छत्तीसगढ़ लोक सेवा
			अधिकारी /	संचालक / आंतरिक		आयोग का कोई
		•	व्याख्याता, लेखा	लेखा परीक्षा	•	सदस्य –अध्यक्ष
			प्रशिक्षण शाला	अधिकारी / प्राचार्य,		2. सचिव वित्त
			,	लेखा प्रशिक्षण		-सदस्य
				शाला		3. आयुक्त /
			•			संचालक, कोष, लेखा
						तथा पेशन -सदस्य

	54 × 1	1 1 1			· · · · ·	
2.		छत्तीसगढ्	कनिष्ठ वेतनमान	छत्तीसगढ़ राज्य	06 वर्ष	1. सचिव वित्त-
· .		राज्य	कोषालय	वित्त सेवा वरिष्ठ	•	अध्यक्ष
		वित्त सेवा	अधिकारी / लेखा	वेतनमान / वरिष्ठ		2. अतिरिक्त सचिव /
	·		अधिकारी / सहायक	कोषालय		संयुक्त सचिव,
			संचालक / आंतरिक	अधिकारी / वरिष्ठ		सामान्य प्रशासन
			लेखा परीक्षा	लेखा अधिकारी /		विभाग-सदस्य
	·			उप संचालक		3. सचिव / विशेष
			अधिकारी / प्राचार्य	उप रावालक		
	ļ ·		लेखा प्रशिक्षण			सचिव / संयुक्त
			शाला			सचिव, वित्त –सदस्य
	!		·			4. आयुक्त /
	ŀ		,			संचालक, कोष, लेखा
						तथा पेशन-सदस्य
3.		छत्तीसगढ़	वरिष्ठ वेतनमान-	छत्तीसगढ़ राज्य	04 वर्ष	1. वित्त सचिव-
		राज्य	वरिष्ठ कोषालय .	वित्त सेवा प्रवर		अध्यक्ष
1		वित्त सेवा	अधिकारी / वरिष्ठ	श्रेणी—संयुक्त		2. अतिरिक्त सचिव /
			लेखा अधिकारी/	संचालक / मुख्य		संयुक्त सचिव
			उप संचालक	लेखा अधिकारी/		सामान्य प्रशासन
				वित्तीय सलाहकार		विभाग-सदस्य
				(संयुक्त संचालक		3. सचिव / विशेष
,				स्तर)		सचिव / संयुक्त
						सचिव, वित्त- सदस्य
						4. आयुक्त / संचालक
						कोष, लेखा तथा
						पेंशन- सदस्य
4.	-	छत्तीसगढ	प्रवर श्रेणी	छत्तीसगढ़ राज्य	05 वर्ष	1. वित्त
4.		राज्य	संयुक्त संचालक /	वित्त सेवा –	40 41	सचिव-अध्यक्ष
		वित्त सेवा	मुख्य लेखा	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी-,	•	2. अतिरिक्त सचिव/
		1900 091	अधिकारी / वित्तीय	अपर संचालक		संयुक्त सचिव,
				जनर राजारायः		सामान्य प्रशासन
			सलाहकार			विभाग -सदस्य.
,		-				ापनाग —संदर्यः 3. सचिव/विशेष
	1					1 / 1
					2.0	सचिव / संयुक्त
						सचिव, वित्त-सदस्य
	1.			·		4. आयुक्त /
						संचालक, कोष, लेखा
						तथा पेंशन-सदस्य
5.	.	छत्तीसगढ़	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी—	छत्तीसगढ़ राज्य	छत्तीसगढ	1. वित्त सचिव—
		राज्य	अपर संचालक	वित्त सेवा-	राज्य वित्त	अध्यक्ष
		वित्त सेवा		अधिसमय	सेवा में 25	2. अतिरिक्त सचिव/
				वेतनमान—	वर्ष की सेवा	संयुक्त सचिव,
				संचालक / वित्तीय	तथा सेवा	सामान्य प्रशासन
	. `			सलाहकार	के वरिष्ठ	विभाग –सदस्य.
				(संचालक स्तर)	प्रवर श्रेणी	3. सचिव / विशेष
					में कार्यरत।	सचिव / संयुक्त
	ľ				}	सचिव, वित्त-सदस्य
						4. आयुक्त /
2.					3 //	संचालक, कोष, लेखा
						तथा पेंशन-सदस्य
L			<u></u>	1		<u> </u>

Naya Raipur, the 5th June 2013

No. F 1-11/2013/Est./Four:: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, regulating the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh State Finance Service (Gazetted), namely:-

RULES

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Chhattisgarh State Finance Service (Gazetted) Rules, 2013.
 - (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.** In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government of Chhattisgarh;
 - (b) "Committee" means a Selection Committee meant for Departmental Promotion as specified in Schedule-IV;
 - (c) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;
 - (d) "Director/Commissioner" means the Director/Commissioner of the Treasury, Accounts and Pension, Chhattisgarh;
 - (e) "Examination" means the competitive examination held for revruitment conducted under rule 11 of these rules;
 - (f) "Finance Secretary" means the Secretary of Finance Department of the Government of Chhattisgarh;
 - (g) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
 - (h) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
 - (i) "Member of Service" means persons appointed substantively to the post in the cadre of the service as per the rules and orders issued under or before the commencement of these rules;
 - (j) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5, XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
 - (k) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
 - (l) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
 - (m) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
 - (n) "Service" means the Chhattisgarh State Finance Service (Gazetted);
 - (o) "State" means the State of Chhattisgarh.
- 3. Scope and application. Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

- 4. Constitution of the service. (A) The service shall consist of the following persons, namely:
 - (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;
 - (2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
 - (3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.
 - (B) Preliminary constitution of service- The preliminary Constitution of Service shall be formed, as follows:-
 - (1) Those State Finance Service Officers, whose selection has been made by the Public Service Commission and who are serving in different departments of the State Government.
 - (2) The remaining such vacancies, which have been filled through the promotion from Chhattisgarh Sub-ordinate Accounts Service by the Government. The number of vacancies to be filled so by each method, shall be determined by the Government.
- 5. Classification, scale of pay etc. The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

- **Method of recruitment.**—(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-
 - (a) by direct recruitment, through competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;
 - (b) hy promotion of members of Chhattisgarh Sub-ordinate Account Service.
 - (2) The number of persons recruited under sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.
 - Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.
 - Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may after consultation with the Commission adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

- (5) At the time of recruitment to the service the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of the Government shall apply.
- 7. Appointment in service. All the appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.
- 8. Conditions of eligibility for direct recruitment.— In order to be eligible fof direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:
 - (I) Age- (a) He must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (5) of the said Schedule on the first day of January, next following the date of issue of the advertisement;
 - (b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (five) years, if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);
 - (c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto 10 (ten) years as per the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;
 - (d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below:-
 - (i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;
 - (ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;
 - (iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 (seven) years even if represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.
 - Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 (three) years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service;

- (e) A candidate who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all Defence Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.
 - Explanation- The term "Ex-Servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service:
 - (i) Ex-servicemen released under mustering out concession;
 - (ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-
 - (a) Completion of short term engagement;
 - (b) On fulfilling the conditions of the enrollment.
 - (iii) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);
 - (iv) Ex-servicemen/Officers discharged after working for more than 6 (six) months continuously against leave vacancies;
 - (v) Ex-servicemen invalidated out of service:
 - (vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
 - (vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc.
- (f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 (two) years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme;
- (g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive scheme as per Chhattisgarh Inter Caste Marriage, Promotional Scheme under untouchability Eradication Rules, 1984;
- (h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 (five) years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchandra Bhanjdeo Award holder candidates and National Youth Award holder young candidates;
- (i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards:

- (j) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service rendered so by them subject to the limit of 8 (eight) years but in no case their age should exceed 38 years.
 - Note—(1) The candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule 8(d)(i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or posts after submitting the applications.
 - (2) In no other case these age limits shall be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the selection.
- (k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above category for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years;
- (1) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time shall also be applicable.
- (II) Educational qualifications and experience The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed for service as shown in Schedule-III.
- (III) (A) Fees The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.
 - (B) Medical Examination Fees Those candidates, who have required for appearance before Medical Board, must pay the fees to Chairman of the Medical Board before medical examination, which has prescribed by the State Government, from time to time.
- 9. **Disqualification**. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be disqualified for selection.
 - (1) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule in such candidates.

Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

- (3) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.
- (4) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

- (5) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.
- (6) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more than two children are born, shall not be disqualified for any service or post.

- 10. Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.—(1) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission for examination/ interview, shall be allowed to be appear in the examination or interview.
 - (2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.
- 11. Direct recruitment by Selection/Competitive Examination/ Interview.— (1) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.
 - (2) Competitive examination shall be conducted by the Commission as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government on consultation with the Commission, from time to time.
 - (3) The selection of the candidates to the service shall be made in such manner as may be determined by the Commission.
 - (4) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the directions issued under it by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

- (5) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.
- (6) In addition to above, the post for disabled/ex-servicemen shall be reserved in accordance with the Act/Rule/Order/Instructions issued by the Government from time to time,
- (7) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (8) In addition to above the candidates who may women/disabled/ex-servicemen and who is selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.
- (9) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (7) as the case may be.
- In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).
- 12. List of candidates selected by the Commission.- (1) The Commission shall prepare a list, arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, disabled/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.
 - (2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to the general public.
 - (3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, point shall be extended to the next integral number.

- (4) Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to the Government for further action regarding appointment.
- (5) Subject to the provisions of this rule and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
- (6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
- (7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period, or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.
- (8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions, will recommend the names from the waiting list and send it to the Government.
- (9) Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.
- (10) On extending the validity period of select list for 6 months, the validity period of waiting list will automatically deem to be extended for 6 months.
- (11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (8) and (9), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.
- 13. **Probation.-** (1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.
 - (2) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 year.
 - (3) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.
- 14. Appointment by promotion.- (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

- (2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.
- (3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

- (4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.
- (5) Certification by the Appointing Authority Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of subsection (1) of Section 6 of the said Act.
- 15. Conditions regarding eligibility for promotion.- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (4) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (6) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).
 - Explanation Method of computation for eligibility for promotion- The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the relevant year in which
 Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.
 - (2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during 1 year.
 - (ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion the course of 1 year.

- (3) The name of public servant in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name upto 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant, whichever is more to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).
- (4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.
- (5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable for promotion.
- 16. Preparation of list of suitable candidates.- (1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of period of 1 year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list, which shall consist one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.
 - (2) The list of suitable officers shall be prepared as per the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rules, 2003.
 - (3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.
 - (4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reason for the proposed supersession.
- 17. Consultation with the Commission.- (1) The list prepared in accordance with Rule 16 shall be sent to the Commission along with following documents:-
 - (i) the record of all the persons included in the list.
 - (ii) record of all such persons mentioned in column (4) of Schedule-IV who are proposed for supersession as recommended in the list.
 - (iii) recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person of the service as mentioned in column (3) of Schedule-IV.
 - (iv) remarks of the Government on the recommendations of the committee.
 - (2) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.
- 18. Select list.- (1) Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the committee, if it feel that there is no need of making any changes then it shall approve the list.
 - (2) If the Commission feels that there is need of some changes in the list, then Commission shall inform the Government with its opinion if any, but once it is

- considered, the commission shall approve the list with necessary changes, if any, which it thinks justified and reasonable.
- (3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of Civil Services as mentioned in column (4) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (5) of Schedule-IV.
- (4) The select list shall ordinarily valid upto 31st December of the calendar year from the date of its preparation.
- 19. Appointment to the service from the select list.- (1) Appointment of the officers included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appear in the select list.
 - (2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.
- **Probation.-** Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.
- 21. (A) The conditions of eligibility for appointment in senior pay scale of service Only such officers serving / working in the junior pay scale of the service shall be eligible for consideration in the appointment in senior pay scale, namely,-
 - (1) Who has completed the 6 years service in the junior pay scale on the 1st January of the year in which the selection is made.
 - Officers working in junior pay scale to the service shall be considered by the Committee specified in column (7) of Schedule- IV for appointment in senior pay scale to the service.
 - (3) Selection shall be made on the basis of "seniority-cum merit"
 - (4) The selection list as per above shall be generally prepared considering the requirements of upcoming one year and appointments—shall be made from it, in the senior—pay scale of the service—after approval—from the State Government.
 - (5) Subject to the above sub-rule (4) the selection list approved by the Government shall be valid for the period till 31st December of that year from the date of such approval:

Provided that Government can review or revise the selection list even before the lapse of said time period, in general or as far as concerned with any specific officer or officers.

- (B) The conditions of eligibility for Appointment in the selection grade pay scale of service- (1) Only such officers of service shall be eligible for consideration to the appointment in selection grade pay scale who has completed the 4 year's service in the senior pay scale on the 1st January of the year in which the selection is made.
 - Officers working in senior pay scale to the service shall be considered by the Committee specified in column (7) of Schedule IV for appointment in selection grade to the service.
 - (3) Selection shall be made on the basis of "seniority cum merit".
 - (4) The selection list as per above shall be generally prepared considering the requirements of upcoming one year and appointments shall be made from it, in the Selection Grade Pay Scale of the service after approval from the State Government.
 - (5) Subject to the above sub-rule (4) the selection list approved by the Government shall be valid for the period till 31st December of that year from the date of such approval:

Provided that the Government can review or revise the selection list even before the lapse of said time period, in general or as far as concerned with any specific officer or officers.

- (C) The conditions of eligibility for Appointment in the senior selection grade pay scale of service-- (1) only such officers of the service shall be eligible for consideration to the appointment in senior selection grade pay scale, who has completed the 5 year's service in selection grade pay scale to the service on the 1st January of the year in which the selection is made.
 - (2) Officers working in selection grade pay scale to the service shall be considered by the Committee specified in column (7) of Schedule IV for appointment in senior selection grade to the service.
 - (3) Selection shall be made on the basis of "seniority cum merit".
 - (4) The selection list as per said above shall generally be prepared considering the requirements of upcoming one year and appointments shall be made from it, in the senior selection grade pay scale of the service after approval from the State Government.
 - (5) Subject to the above sub-rule (4) the selection list approved by the Government shall be valid for the period till 31st December of that year from the date of such approval:

Provided that the Government can review or revise the selection list even before the lapse of said time period, in general or as far as concerned with any specific officer or officers.

- (D) The conditions of eligibility for Appointment in the Super time pay scale of the Chhattisgarh State Finance Service-
 - (1) Only such officers of the Chhattisgarh State Finance Service shall be eligible for consideration to the appointment in Super Time pay scale who has completed the 25 years service in the Chhattisgarh State Finance service on the 1st January of the year in which the selection is made and working in senior selection Grade pay scale.
 - (2) Officers working in senior selection grade pay scale to the service shall be considered by the Committee specified in column (7) of Schedule IV for appointment in super time pay scale to the service.
 - (3) Selection shall be made on the basis of "seniority cum merit".
 - (4) The selection list as per above shall be generally prepared considering the requirements of upcoming one year and appointments shall be made from it, in the Super Time Pay Scale of the service after approval from the State Government.
 - (5) Subject to the above sub-rule (4) the selection list approved by the Government shall be valid for the period till 31st December of that year from the date of such approval:

Provided that the Government can review or revise the selection list even before the lapse of said time period, in general or as far as concerned with any specific officer or officers.

- **22. Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.
- **Relaxation.** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

24. Repeal and saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, C. J. KHATRI, Joint Secretary.

SCHEDULE- I (See Rule 5)

Name of the	Name of	Description of	Total	Classification	Percentage
Department	the Service	categories of posts	number of		
		and their pay scales	posts		
			sanctioned		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance	Chhattisgarh	Junior Scale	143	Gazetted	53%
Department	State Finance	15600-39100 Grade		Class II	
	Service	pay 5400		·	
		Senior Scale	68	Gazetted	25%
		15600-39100 Grade	,	Class I	
		pay 6600			
		Selection Grade	40	Gazetted	15%
		Scale	. ,	Class I	
		15600-39100 Grade	,		
		pay 7600			
		Senior Selection	14	Gazetted	05%
	1	Grade Scale		Class I	
		37400-67000 Grade		• .	
		pay 8700			
	1	Super time pay scale	05	Gazetted	02%
		37400-67000 Grade		Class I	**
		pay 8900			

SCHEDULE- II (See Rule 6)

Method of Recruitment

Name of the Department	Name of the services	Total number	Percentage of posts to be	· ·	Note
		of post	By direct recruitment See Rules 6(1) (a)	By promotion See Rules 6(1)(b)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5).	(6)
Finance Department	Chhattisgarh State Finance Service	270	50%	50%	Counting of post for the direct recruitment and promotion to Junior Pay Scale and Kramonnati for Senior pay scale /Selection Grade pay scale / Senior selection pay scale /Super time pay Scale by made on the basis of total number of posts in the cadre.

SCHEDULE- III (See Rules 8)

Name of the	Name of the	Name of the posts from which	Minimum age limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational	Remarks
Department	Service	appointment is	,		Qualification	
		to be made				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Finance	Chhattis-	Junior scale	21 years	30 years	Degree from	
Department	garh	Treasury Officer/			any	
	State	Accounts Officer/			recognized	
	Finance	Assistant	•		University	,
	service	Director/ Internal	*			,
•	• •	Audit Officer/				
		Principal	,			
1, 1, 1		Accounts				
man age in the all see a	2 1148 5	Training School		162511112		<u>'</u>

Note- The upper age limit shall be relaxed, for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE -IV (See Rules 14 and 15)

S.	Name	Name of	Name of the	Name of the	Minimum	Name of members of
No.	of the	the	posts from	posts on which	period of	the Departmental
	Depart-	Service	which	promotion /	experience ·	Promotion
	ment		promotion/	appointment is	for	Committee
			appointment	to be made	eligibility	
			is to be made		of	,
					promotion/	
					appoint-	
					ment	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Finance	Chhattis-	Assistant	Chhattisgarh	05 years	1 Chairman of
	Depart-	garh	Treasury	State finance		Chhattisgarh Public
	ment	sub-	Officer/	service, Junior		Service Commission
	·	ordinate	Assistant	scale Treasury		or any member of
		Accounts	Audit Officer	Officer/		Chhattisgarh Public
		service	/ sub treasury	Accounts	•	Service Commission
			officer/	Officer/		recommended by
			Lecturer,	Assistant		Chairman-Chairman
			Accounts	Director/		2.Finance Secretary-
1			Training	Internal Audit		Member
			school	Officer/	·	3.Commissioner/
				Principal		Director, Treasuries,
				Accounts		Accounts and
		,		Training		Pension - Member
				School		

. : 	1 42		,]	:	
(1)	(2)	(3)~	(4)	(5)	(6)	(7)
2.		Chhattis-	Junior scale	Chhattisgarh	06 years	1 Finance Secretary-
	*	garh	Treasury	State Finance		Chairman
1		State	Officer/	service senior		Cuaninan
1 4		Finance	Accounts	, ,		2. Additional
		rinance		pay scale/		Secretary/ Joint
1			Officer/	Senior		•
:2			Assistant	Treasury		Secretary GAD -
			Director/	Officer/ Senior		Member
1			Internal	Accounts		2 Sacratam (Sacrain)
			Audit	Officer/ Deputy		3.Secretary/Special
			Officer/	Director		Secretary/Joint
1				Director		Secretary, Finance -
			Principal	e .		Member
			Accounts			
	1.00		Training			4.Commissioner/
1		11 TA 11 TA	School			Director, Treasuries,
1						Accounts and
1 .				1		Pension - Member
						i cholon - Michilici
3.		Chhattis-	Senior pay	Chhattisgarh	04 years	1 Finance Secretary-
		garh	scale- Senior	State Finance		Chairman
		State	Treasury	service		Sand Hand
		Finance	Officer/	Selection		2. Additional
		Thiance		1		Secretary/ Joint
			Senior	grade- Joint	•	Secretary, GAD-
			Accounts	Director / Chief		
			Officer/	Accounts		Member
			Deputy	officer/		3. Secretary/ Special
			Director	Financial		
				Adviser (Joint		Secretary/ Joint
				Director level)		Secretary, Finance -
				Director level)		Member
1						
						4.Commissioner /
1 1						Director, Treasuries,
						Accounts and
					·	Pension - Member
	1	Chhattis-	Selection	Chhatticasch	05	1 Einenes County
4.		1		Chhattisgarh	05 years	1 Finance Secretary-
		garh	grade – Joint	State Finance		Chairman
	1	State	Director/	service- Senior		2.Additional
1		Finance	Chief	Selection		1
			Accounts	Grade –		Secretary/Joint
1		·	Officer/	Additional		Secretary GAD-
. [Financial	Director		Member
			1	Director		2 Comptant/Caracial
	1		Adviser			3.Secretary/Special
,						Secretary/Joint
1						Secretary, Finance -
1.	1					Member
1						
1						4.Commissioner /
	1					Director, Treasuries,
.} `						Accounts and
1	1.				1	Pension - Member
		 		<u> </u>	1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.		Chhattis- garh State Finance	Senior Selection Grade – Additional Director	Chhattisgarh State Finance Service- Super time pay scale- Director/ Financial advisor (Director Level)	25 years service in Chhattisgarh State Finance Service and working in Senior selection grade of the service	1 Finance Secretary-Chairman 2.Additional Secretary/Joint SecretaryGAD-Member 3.Secretary/Special Secretary/Joint Secretary, Finance Member 4.Commissioner/ Director, Treasuries, Accounts and Pension – Member

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सिचव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 6 जूने 2013

क्रमांक/3914/भू-अर्जन/2013.— चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलर्ग अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आद्रण्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूरि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

	भूर्ा	मे का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	रामपुर प. ह. नं. 21/26	0.894	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला– राजनांदगांव (छ.ग.)	खातूटोला बैराज के अंतर्गत शाखा नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्रमांक 18151.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ)
 - (ख) तहसील-चांपा
 - (ग) नगर/ग्राम-पोंड़ीशंकर, प.ह.नं. 21
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 एकड्

	खसरा नम्बर	रकबा
		(एकड़ में)
	(1)	(2)
	•	6
	1646	0.42
	1644/2	0.33
भोग पाग	2.	0.75
<u>जोग</u> थांच	1644/2	0.33

- (2) सार्वजिनक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोंड़ी शंकर जैजैपुर मार्ग पर सोन नदी के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जः सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक/3810/भू-अर्जन/2013. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)
 - (ख) तहसील-जैजैपुर
 - (ग) नगर/ग्राम-ठठारी, प.ह.नं. ०२
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	620	0.061
योग	. 1	0.061

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ठठारी बरभांठा मार्ग पर सोन नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू–अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्ट्र, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 31 मई 2013

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/वर्ष 2011-12. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए अस्वश्यकता

___अनुसूची

- - (क) जिला-कबीरधाम
 - (ख) तहसील-बोड़ला
 - (ग) नगर/ग्राम-घोंघा, प.ह.नं. 23
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.963 हेक्टेयर

योग

		1	
खसरा नम्बर	•	रकबा	
		(हैक्टेयर में)	
(1)		(2)	
220, 221		0.215	
222/23	•	0.028	
222/25		0.028	
222/10		0.028	-
222/12	. +. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.041	
222/13		0.032	٠
222/18		0.065	
222/19		0.085	
222/7		0.032	·
222/8		0.032	
222/4		0.028	
222/2		0.049	
222/3		0.032	
222/5		0.041	
213/1क		0.227	
17	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.964	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चाकरनाला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लॉन) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बीडला के न्यायालय में निरीक्षण किया जो सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 31 मई 2013

प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में विर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हे :=-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क), ज़िला-कुबीरधाम
 - (ख) तहसील बोडला
 - (ग) नगर/ग्राम-दियाबार, प.ह.नं. 30
 - ं (घ) लगभग, क्षेत्रफल, 0:790, हेक्टेयर

खसरा नम्बर रकंबा 🔻 (हेक्टेयर में) (2) (1)0.073 34 116/1 0.045 117/1 0.121 0.109 35/1 116/3 0.041 111 0.360 0.041 116/5 योग 0.790 7

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चाकरनाला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतू.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लॉन) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),-बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-संचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ शासन राजस्व विभाग

धर्मतरी, दिनांक 13 मई 2012

क्रमांक 55/A/अ/82/वर्ष 2012-13/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:--/

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-धमतरी

 - (ग) नंगर/ग्राम-रेंगाडीह, प.ह.नं. 48
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर
 - - (ख) तहसील-मगरलोड

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	
	(1)	(2)	
	128	0.03	,
	133	0.01	
	134	0.01	
.•	147	0.02	
योग	4	0.07	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-राजाडेरा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 13 मई 2012

क्रमांक 56/A/अ/82/वर्ष 2012-13/भू-अर्जन. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-धमतरी
 - (ख) ्तहसील-मगरलोड
 - (ग) नगर/ग्राम-राजाडेरा, प.ह.नं. 48
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.71 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)'
	• •
(1)	(2)
٠	
630	0.07
631	0.07
636	0.20
629	0.35
628	0.01

:	(1)	(2)
	669	0.01
योग	6	0.71

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-राजाडेरा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 13 मई 2012

क्रमांक 57/A/अ/82/वर्ष 2012-13/भू-अर्जन. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-धमतरी
 - (ख) तहसील-मगरलोड
 - (ग) नगर/ग्राम-चारभांठा, प.ह.नं. 48
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.23 हेक्टेयर

	·	
	खसरा नम्बर	रकबा
		(हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	17	0.03
	19	0.42
	65	0.02
	66 .	0.03
	67	0.02
	- 69	0.02
	· 71	0.07
	61/3	0.62
योग	8	1.23
		-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-राजाडेरा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. एस. मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी (रायपुर विकास प्राधिकरण)

रायपुर, दिनांक 17 जून 2013

क्रमांक 3953/यो.शा/विप्रा/2013.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन ई.ए.सी. कालोनी के पुनर्निर्माण हेतु विकास योजना के लिए नगर विकास स्कीम का प्रारूप तैयार किया गया है तथा उसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौर्रान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है—

- 1. रायपुर विकास प्राधिकरण, बजरंग होटल के पास, शास्त्री चौक, रायपुर
- 2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उस स्कीम से प्रभावित किसी व्यक्ति से इस सूचना के ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिश: सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि ऐसी वांछा करे नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा.

No. 3953/यो. शा/विप्रा/2013.—Notice is hereby given that a Draft of the Town Development Scheme has been prepared for the area E.A.C. Colony reconstruction Development Scheme under sub-section (3) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection during office hours in the office of:—

- 1. Raipur Development Authority, Near Bajrang Hotel, Shastri Chowk Raipur.
- 2. Joint Director, Town & Country Planning Raipur.

Any objection or suggestion which may be received in writing from any person affected thereby within 30 days of the publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette" will be considered by the Town and Country Development Authority after having been given him as reporting of being heard in person if he so desires.

सुनील सोनी, अध्यक्ष.